

राजनीति एवं शासन

ई-बी.सी.ए.एस. परियोजना के सी.ए.सी.एस. और प्रशिक्षण मॉड्यूल

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बायोमेट्रिक सक्षम केंद्रीयकृत पहुँच नियंत्रण प्रणाली (सी.ए.सी.एस.) और-ई-बी.सी.ए.एस. परियोजना प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है।
- इन पहलों का उद्देश्य हवाई अड्डों पर कर्मचारी गतिशील प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है।
- हवाई अड्डों पर सुरक्षा और ईज ऑफ़ ड्रिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरू की गई दो परियोजनाएं महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।

सी.ए.सी.एस. परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है जिसमें संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी के माध्यम से पिन-आधारित पहचान सत्यापन के अतिरिक्त हवाई अड्डा प्रवेश परमिट (ए.ई.पी.) उपयोगकर्ताओं की विशिष्टता शामिल है।
- बायोमेट्रिक आई.डी. (बायोमेट्रिक सक्षम केंद्रीयकृत पहुँच नियंत्रण प्रणाली जिसमें चिप-एंबेडेड स्मार्ट ए.ई.पी. है) को जारी किया गया है, जो नॉन-डुप्लिकेबल है।

ई-बी.सी.ए.एस. परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- ई-बी.सी.ए.एस. परियोजना ने भारत सरकार के ई-गवर्नेंस पहल के अंतर्गत एक "पेपरलेस कार्यालय" प्राप्त करने की परिकल्पना की थी।
- इसका उद्देश्य बाहरी हितधारकों को 2016 में सभी आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं के डिजिटल-विभाग द्वारा बी.सी.ए.एस. प्रणाली का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करना है।
- ई-बी.सी.ए.एस. परियोजना में प्रशिक्षण मॉड्यूल, गुणवत्ता नियंत्रण और परिचालन मॉड्यूल और प्रशासन आदि शामिल थे।

वार्षिक समीक्षा-2019: पंचायती राज मंत्रालय

- पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.) संविधान के 73वें संशोधन की वकालत के कार्य, निगरानी और कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है।
- एम.ओ.पी.आर. की भूमिकाओं में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आर.एल.बी.) के अधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक ढांचे, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) को मजबूत करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 2018-19 से किया जा रहा है।
- इसका प्रमुख जोर मिशन अंत्योदय के साथ सम्मिलन पर है और 117 आकांक्षी जिलों में पी.आर.आई. को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

पंचायतों का प्रोत्साहन:

- मंत्रालय पंचायतों के प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंचायतों/ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (संघ शासित प्रदेशों) को प्रोत्साहित कर रहा है।
- यह आर.जी.एस.ए. की पुनर्गठित योजना के केंद्रीय घटकों में से एक है, जो सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार लाने और प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए उनके अच्छे काम की मान्यता है।
- इसमें विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/ राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों में 5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक के वित्तीय प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं, जिनके नाम हैं:

- ग्राम/ ब्लॉक/ जिला पंचायतों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP)
- ग्राम पंचायतों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP)
- ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) पुरस्कार
- ग्राम पंचायतों के लिए बाल अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार (सी.एफ.जी.पी.ए.) और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ई-पंचायत पुरस्कार

ग्राम मानचित्र:

- यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लांच किया गया एक स्थानिक योजना एप्लीकेशन है, जो भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायत उपयोगकर्ताओं को सुविधा और समर्थन प्रदान के लिए शुरू किया गया है।
- यह 29 क्षेत्रों में उठाए जाने वाले विभिन्न विकासात्मक कार्यों की बेहतर कल्पना करने के लिए एकल/ एकीकृत भू-स्थानिक मंच प्रदान करता है और जी.पी.डी.पी. के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।

वार्षिक समीक्षा: जल शक्ति मंत्रालय

- प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2019 को भारत के लोगों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक स्वच्छ भारत, भारत समर्पित किया है, जिसने एस.डी.जी. 6 की वैश्विक उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्वच्छता ही सेवा (एस.एच.एस.) 2019:

- यह प्लास्टिक कचरा जागरूकता एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ मथुरा में बड़े पैमाने पर आयोजित एक देशव्यापी जागरूकता और जुटाव अभियान है।
- एस.एच.एस. का शुभारंभ पशुपालन एवं डेयरी और पेयजल एवं स्वच्छता के केंद्रीय विभागों और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक:

- प्रधानमंत्री ने 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी।
- गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा घाटी के प्रदूषण निवारण और कार्याकल्प के प्रबंधन हेतु परिषद को समग्र जिम्मेदारी दी गई है।
- परिषद की पहली बैठक का उद्देश्य संबंधित राज्यों के सभी विभागों के साथ-साथ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों में 'गंगा-केंद्रित' दृष्टिकोण के महत्व को मजबूत करना था।

6वां भारत जल सप्ताह-2019:

- भारत के राष्ट्रपति ने 24 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में 6वें भारत जल सप्ताह-2019 का उद्घाटन किया था।
- भारत जल सप्ताह-2019 की थीम-जल सहयोग-21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करना' थी।

जल शक्ति अभियान:

- जल शक्ति अभियान, जो केंद्र और राज्य सरकारों का भारत के सबसे अधिक जल-संकट वाले ब्लॉक और जिलों में जल संरक्षण गतिविधियों की प्रगति में तेजी लाने हेतु एक सहयोगी प्रयास है।
- इस अभियान के अंतर्गत, केंद्र सरकार के 1000 से अधिक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की केंद्र सरकार की मशीनरी ने जल संग्रहण और संरक्षण के लिए केंद्रित हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को जोड़ा है, जिसमें पारंपरिक जल निकायों की बहाली और नवीनीकरण शामिल है।

सीवरेज क्षेत्र में भारत की पहली एच.ए.एम. परियोजना, 14 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को हरिद्वार के सराय में समय से पहले पूरा किया गया है:

- सराय 14 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाइब्रिड वार्षिकी (एच.ए.एम.) आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल संयंत्र के अंतर्गत पूरा होने वाला पहला एस.टी.पी. है, जो अपनी निर्धारित समयावधि से पहले पूरा हो चुका है।

स्वच्छ महोत्सव 2019:

- जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की सफलताओं का जश्न मनाने और ऐसा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हितधारकों को सम्मानित करने के लिए एक अभियान- स्वच्छ महोत्सव 2019 लांच किया है।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया था और 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था।

जल संरक्षण हेतु जल शक्ति अभियान की शुरुआत:

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 1 जुलाई को जल शक्ति अभियान- जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु एक अभियान, शुरू करने की घोषणा की थी।
- यह अभियान 1 जुलाई, 2019 से 15 सितंबर, 2019 तक मानसून के मौसम में नागरिक भागीदारी के माध्यम से संचालित किया गया है।
- अभियान का फोकस जल-तनावग्रस्त जिलों और ब्लॉकों पर है।

10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2029) का राष्ट्रीय शुभारंभ:

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डी.डी.डब्ल्यू.एस.), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2029) शुरू की है।
- यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत हासिल किए गए स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पीछे न रहे और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पहुंच बढ़ सके।

गंगा आमंत्रण- गंगा के हितधारकों के साथ जुड़ने की एक अनूठी पहल:

- 'गंगा आमंत्रण अभियान' गंगा नदी पर एक अग्रणी और ऐतिहासिक खोजपूर्ण ओपन-वाटर राफ्टिंग और कयाकिंग अभियान है।
- यह देवप्रयाग में शुरू हो रहा था और गंगा सागर में समाप्त हो रहा था, यह अभियान गंगा नदी के 2500 किलोमीटर से अधिक पूरे क्षेत्र को कवर करेगा।

सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने ऑस्ट्रेलिया के मारवी के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

- केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (CGWB) नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के भागीदार MARVI (मैनेजिंग एक्विफर रिचार्ज एंड सस्टेनिंग ग्राउंडवाटर यूज विद विलेज-लेवल इंटरवेंशन) के साथ एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध के निर्माण हेतु समझौता जापन:

- रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत, यमुना नदी और इसकी दो सहायक नदियों- टोंस और गिरी पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और ऊपरी यमुना घाटी के हिमाचल प्रदेश में तीन भंडारण परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।
- इनमें उत्तराखंड में यमुना नदी पर लखवार परियोजना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टोंस नदी पर किशाऊ और हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर रेणुकाजी शामिल हैं।

बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च को पूरे देश में 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यों और नदी प्रबंधन गतिविधियों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों के लिए " बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)" को मंजूरी प्रदान की है।

लाभ:

- FMBAP योजना को प्रभावी बाढ़ प्रबंधन, कटाव नियंत्रण और समुद्र विरोधी कटाव के लिए पूरे देश में लागू किया जाएगा।

- इस प्रस्ताव से देश के शहरों, गांवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार लिंक, कृषि क्षेत्र, बुनियादी ढांचे आदि को बाढ़ और कटाव से लाभ होगा।
- जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य, नदियों में तलछट भार को कम करने में मदद करेगा।

वित्त पोषण प्रारूप:

- सामान्य श्रेणी के राज्यों में काम करने के लिए एफ.एम. घटक हेतु वित्त पोषण प्रारूप 50% (केंद्र): 50% (राज्य) जारी रहेगा।
- पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए वित्तपोषण प्रारूप 70% (केंद्र): 30% (राज्य) जारी रहेगा।

राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली

- चुनाव आयोग ने एक "राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रेकिंग प्रबंधन प्रणाली (PPRTMS)" की शुरूआत की है जो आवेदकों को आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
- आयोग ने पिछले महीने पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया था।
- उक्त धारा के अंतर्गत पंजीकरण की मांग करने वाले संघ को आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने गठन की तारीख के 30 दिनों के भीतर आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक आयोग के पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम होगा और एस.एम.एस. और ई-मेल के माध्यम से एक स्टेटस अपडेट प्राप्त करेगा।

संबंधित जानकारी

- राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों द्वारा शासित है।
- आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग किया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020

- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की पहली और दूसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा की है।

प्रमुख विशेषताएं

- इंदौर और जमशेदपुर ने क्रमशः 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में और 1 लाख से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में लगातार दो तिमाहियों में स्वच्छता चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- कोलकाता दोनों तिमाहियों में 49 प्रमुख शहरों की रैंकिंग में सबसे नीचे रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने देशव्यापी अभ्यास में भाग नहीं लिया था।
- 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में झारखंड के जमशेदपुर को दोनों तिमाहियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
- पहली तिमाही में शीर्ष पांच शहर: इंदौर, भोपाल, सूरत, नासिक, राजकोट हैं।
- दूसरी तिमाही में शीर्ष पांच शहर: इंदौर, राजकोट, नवी मुंबई, वडोदरा, भोपाल हैं।

एस.एस. लीग 2020 के संदर्भ में जानकारी:

- स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की शुरूआत स्वच्छता के संदर्भ में सेवा स्तर के प्रदर्शन की सतत निगरानी के साथ शहरों के आधारीय प्रदर्शन को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह 3 तिमाहियों अर्थात अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर और अक्टूबर-दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था।
- दो श्रेणियों में रैंक प्रदान की गई हैं:
- एक लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहर (दो उप-श्रेणियों के साथ अर्थात 1-10 लाख और 10 लाख और उससे अधिक)



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- 1 लाख से कम आबादी वाले शहर (<1 लाख जनसंख्या श्रेणी के अंतर्गत, ज़ोन और जनसंख्या-वार रैंक दी गई है)।

नोट:

- 4 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी, 2020 तक चलने वाले वार्षिक सर्वेक्षण में तिमाही मूल्यांकन के 25 प्रतिशत भारांक को शामिल किया जाएगा, जिसके कारण एस.एस. लीग 2020 में शहरों का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उनकी रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण है।

मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर

- भारतीय रिज़र्व बैंक, आर.बी.आई. ने दृष्टिबाधित लोगों की करेंसी नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में मदद करने हेतु एक मोबाइल ऐप, MANI, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर लॉन्च किया है।

MANI एप्लिकेशन के संदर्भ में जानकारी

- दृष्टिबाधित व्यक्ति एप्लिकेशन का उपयोग करके एक नोट के मूल्यवर्ग को पहचान सकते हैं, जो एक बार इंस्टॉल होने के बाद ऑफ़लाइन भी काम कर सकता है।
- उपयोगकर्ता कैमरे का उपयोग करके नोटों को स्कैन भी कर सकते हैं।
- ऑडियो आउटपुट हिंदी और अंग्रेजी में परिणाम देगा।

107वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने बेंगलूर में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े वार्षिक वैज्ञानिक दिग्गजों के सम्मेलन, 107वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
- इस भारत विज्ञान सम्मेलन की थीम: **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: ग्रामीण विकास** है।
- विज्ञान सम्मेलन वैज्ञानिक खोजों और प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु है।
- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान पर चर्चा करने के लिए पूरे विश्व में विज्ञान बंधुत्व को एक साथ लाना है।

107वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन के दौरान अन्य कार्यक्रम

किसान विज्ञान सम्मेलन

- यह भारतीय विज्ञान सम्मेलन के इतिहास में पहली बार आयोजित किया गया है।
- इसमें कृषि विशेषज्ञों और किसानों द्वारा भाग लिया जाएगा जिनके नवाचार दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महिला विज्ञान सम्मेलन

- महिला विज्ञान सम्मेलन का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को उनकी उपलब्धियों और अनुभवों को प्रदर्शित करने के लिए एकल मंच प्रदान करना है।

राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन (बाल विज्ञान सम्मेलन)

- इसे भी भारत विज्ञान सम्मेलन के साथ आयोजित किया जाएगा जो बच्चों को चयनित परियोजनाओं को देखने और प्रख्यात वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

कृषि कर्मण पुरस्कार

- प्रधानमंत्री ने पिछले फसल सीजन के दौरान विभिन्न श्रेणियों में अच्छा कृषि उत्पादन दर्ज करने वाले 21 राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है।

कृषि कर्मण पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी

- यह 2010-11 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में राज्यों के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देने के लिए भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा घोषित एक इनाम योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के दो सेट शामिल किए गए थे।

- कुल खाद्यान्न उत्पादन हेतु
- चावल, गेहूँ, दलहन और मोटे अनाज की व्यक्तिगत खाद्य अनाज फसलों हेतु
- कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए पुरस्कारों की तीन श्रेणियां हैं:
- **श्रेणी 1**, उन राज्यों के लिए है जहां कुल खाद्यान्न उत्पादन 10 मिलियन टन से अधिक है।
- **श्रेणी 2**, उन राज्यों के लिए है जहां कुल खाद्यान्न उत्पादन 10 मिलियन टन से कम है लेकिन 1 मिलियन टन से अधिक है।
- **श्रेणी 3**, उन राज्यों के लिए है जिनका कुल खाद्यान्न उत्पादन 1 मिलियन टन से कम है।

ओपेन एकड़ लाइसेंसिकरण कार्यक्रम

- हाल ही में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपेन एकड़ लाइसेंसिकरण कार्यक्रम (ओ.ए.एल.पी.) बिड राउंड-IV के अंतर्गत सम्मानित 7 ब्लॉक के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

ओपेन एकड़ लाइसेंसिकरण कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- इसे 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिकरण नीति (हेल्प) नामक अन्वेषण क्षेत्र में नए राजकोषीय शासन के हिस्से के रूप में पेश किया गया था।
- इसका उद्देश्य उपलब्ध भौगोलिक क्षेत्र के त्वरित सर्वेक्षण और कवरेज को सक्षम करना है जिसमें तेल और गैस की खोज की क्षमता है।
- ओ.ए.एल.पी. के अंतर्गत, हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के लिए इच्छुक एक बोलीदाता किसी भी नए ब्लॉक की खोज के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है जो पहले से ही खोजबीन द्वारा कवर नहीं किया गया था।
- ओ.ए.एल.पी. के सफल कार्यान्वयन के लिए भू-वैज्ञानिक डेटा पर राष्ट्रीय डेटा भंडार के निर्माण की आवश्यकता है।
- सरकार हितों की जांच करेगी और यदि यह एक पुरस्कार के लिए उपयुक्त है तो सरकार आवश्यक पर्यावरणीय और अन्य मंजूरी प्राप्त करने के बाद प्रतिस्पर्धी बोलियां आयोजित करेगी।

कार्यान्वयन एजेंसी:

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.)

नोट:

राष्ट्रीय डेटा भंडार:

- यह भारतीय तलछटी घाटियों का अन्वेषण एवं उत्पादन (ई. एंड पी.) डेटा का एक एकीकृत डेटा भंडार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने हेतु कोई स्वचालित दोषसिद्धि नहीं है।

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दहेज उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- अदालत ने कहा है कि भले ही यह स्थापित किया जाए कि संबंधित महिला ने शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति को इस क्रूरता के अधीन किया गया है तो अदालत यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आत्महत्या के लिए पति ने उकसाया है।”

भारतीय दंड संहिता की आत्महत्या दुष्प्रेरण की धारा 306

- आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के अंतर्गत अपराध है।
- इस धारा के अनुसार, दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।
- आत्महत्या करना, एक गैर-जमानती अपराध है।
- एक व्यक्ति को उकसाने का दोषी तब माना जाता है जब:
- वह किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है (या)

- वह किसी व्यक्ति को आत्महत्या (या) करने के लिए एक साजिश का हिस्सा है
- वह जानबूझकर पीड़ित को एक कृत्य करके या कुछ ऐसा नहीं करने के लिए आत्महत्या करने में मदद करता है जो वह करने के लिए बाध्य था।

भारत निर्वाचन आयोग

- मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने घोषणा की है कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव 8 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे और मतों की गिनती 11 फरवरी को होगी।

चुनाव आयोग के संदर्भ में जानकारी

- अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संविधान द्वारा चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित मामलों के लिए न्यासित एक स्थायी निकाय है:
 - राष्ट्रपति का चुनाव
 - उपराष्ट्रपति का चुनाव
 - लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा के चुनाव
 - राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ विधान परिषदों के चुनाव
 - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण
 - सांसदों और विधायकों की योग्यता और चुनाव उद्देश्यों के लिए जनसंख्या का निर्धारण
- संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के प्रावधानों का उल्लेख है, जो इस प्रकार हैं:
 - मुख्य चुनाव आयुक्त को पद की सुरक्षा प्रदान की जाती है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और समान आधार को छोड़कर उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
 - मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिशों के अतिरिक्त किसी अन्य चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता है।

चुनाव आयोग की रचना

- संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं:
- राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- जब कोई अन्य चुनाव आयोग नियुक्त होता है तो सी.ई.सी., चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- यदि आवश्यक है तो चुनाव आयोग से परामर्श के बाद राष्ट्रपति, आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकते हैं।
- सभी आयुक्तों के पद का कार्यकाल और सेवा की शर्तें, देश के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

वार्षिक समीक्षा 2019- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय

- वर्ष 2019 के दौरान कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी.एम.-के.एम.वाई.) की शुरुआत

- 12 सितंबर, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई पी.एम.-के.एम.वाई. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3000 ₹/- का भुगतान करने का प्रावधान करती है।
- यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश करने की आयु 18 से 40 वर्ष है।
- किसान द्वारा किया जाने वाला मासिक योगदान 55 से 200 रुपये के बीच हो सकता है।
- केंद्र सरकार भी पेंशन योजना में एक समान राशि का योगदान करेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ (PM-KISAN)

- प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी, 2019 को पी.एम.- किसान योजना का उद्घाटन किया गया था।
- यह कुल 6000 रूपए की धनराशि को 2000 रूपए प्रत्येक की तीन समान किशतों में सीधे लाभार्थी किसान परिवार के बैंक खाते में हस्तांतरित करेगी।
- इस योजना ने शुरू में केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभार्थियों के रूप में 2 हेक्टेयर तक की भूमि के साथ शामिल किया था, जो उच्च-आय की स्थिति के लिए कुछ निश्चित बहिष्करण मानदंडों के अधीन था।
- सरकार ने बाद में योजना को 1 अप्रैल, 2019 से सभी किसान परिवारों के लिए भूमि के आकार, लागू बहिष्करण मानदंडों के अधीन के निरपेक्ष विस्तारित किया है।
- किसानों को स्व-पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने हेतु 'किसान कॉर्नर' लिंक के माध्यम से पी.एम.-किसान वेब-पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर एक नई सुविधा प्रदान की गई है।

ई-एन.ए.एम.-एक राष्ट्र एक बाजार

- राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एन.ए.एम., भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन व्यापारिक प्लेटफॉर्म है।
- बाजार किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं में ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
- बाजार बेहतर कीमत की खोज में मदद कर रहा है और उनकी उपज के सुचारु विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है।
- ई-एन.ए.एम. के अंतर्गत एकीकरण के लिए 421 नई मंडियों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनके साथ ही, ई-एन.ए.एम. पोर्टल पर एफ.पी.ओ. भी लगाया गया है।

अन्य पहलें और उपलब्धियां:

- बहुभाषी मोबाइल ऐप "सी.एच.सी.-फार्म मशीनरी" लॉन्च किया गया था, जो किसानों की उनके क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेवा केंद्रों (सी.एच.सी.) के माध्यम से किराए पर कृषि मशीनरी प्राप्त करने में मदद करता है।

भारत में एन.सी.आर.बी. वार्षिक अपराध रिपोर्ट 2018

- हाल ही में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में एन.सी.आर.बी. वार्षिक अपराध रिपोर्ट 2018 प्रकाशित की है।
- इसे अनंतिम आंकड़ों के साथ पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में प्रकाशित किया गया था।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- रिपोर्ट के अनुसार, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,78,277 मामले दर्ज किए गए हैं जो 2017 में 3,59,849 मामलों से अधिक थे।
- उत्तर प्रदेश इस सूची में शीर्ष स्थान पर है इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं।
- बलात्कार से संबंधित मामलों में दोषसिद्धि की दर 27.2% थी, हालांकि इस तरह के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 85.3% थी।
- प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2017 में 388.6 से घटकर 2018 में 383.5 पर आ गई है।
- एन.सी.आर.बी. ने भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्म हत्या रिपोर्ट 2018 भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2018 में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 10,349 लोगों ने आत्म हत्या कर ली है, जो देश में आत्महत्याओं की कुल संख्या का 7.7% है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत घटनाओं में 2017 से 2018 में गिरावट देखी गई है।

सरकार, कोयले की खानों की नीलामी को आसान बनाने के लिए कानूनों में संशोधन हेतु अध्यादेश घोषित करेगी।

- सरकार ने कोयला खानों की नीलामी को आसान बनाने के लिए खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (एम.एम.डी.आर.) अधिनियम, 1957 और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में संशोधन हेतु अध्यादेश की घोषणा की है।

अधिनियमों में संशोधन निम्नलिखित को सक्षम करेंगे:

- व्यापार करने में सुगमता को बढ़ायेंगे
- निवेश करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोयला खनन क्षेत्र को खोलकर उसका लोकतंत्रीकरण करना
- पूर्वक्षण लाइसेंस-सह-खनन लीज (पी.एल.- सह-एम.एल.) के माध्यम से खनन के लिए अस्पष्टीकृत और आंशिक रूप से स्पष्टीकृत कोयला ब्लॉक की पेशकश
- भागीदारी के लिए प्रतिबंध और पात्रता मानदंडों को हटाकर कोयला खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना
- सफल बोलीदाता/ आवंटी को अपनी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी के किसी भी संयंत्र में खनन किए गए कोयले का उपयोग करने की अनुमति देना
- कोयला खनन क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना क्योंकि अंत-उपयोग के प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।

कोयले के संदर्भ में जानकारी

- कोयले को काला सोना भी कहा जाता है, जो तलछटी परत [मिट्टी की परतों] में पाया जाता है।
- विश्व के अधिकांशतः कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग [350 मिलियन साल पहले] में हुआ था।

व्याख्या: नए नागरिकता कानून के संदर्भ में "संवैधानिकता की प्रकल्पना"

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को संवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा है कि संसद द्वारा पारित एक कानून के लिए पहले से ही "संवैधानिकता की प्रकल्पना" थी।

'संवैधानिकता की प्रकल्पना' के संदर्भ में जानकारी

- 'संवैधानिकता की प्रकल्पना' एक कानूनी सिद्धांत है जिसका उपयोग न्यायालयों द्वारा संवैधानिक व्याख्या के दौरान किया जाता है, ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय, संसद जैसी विधायिका द्वारा पारित कानून की व्याख्या करता है और उसे लागू करता है।
- यह कानूनी सिद्धांत है कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को तब तक संवैधानिक मान लेना चाहिए जब तक कानून स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हो या एक मौलिक अधिकार निहित न हों।
- प्रकल्पना, संपूर्ण नहीं है, जब संविधान का समग्र उल्लंघन होता है तो यह स्थिर नहीं रहती है।
- संवैधानिकता की प्रकल्पना से संबंधित मामलें:
 - सर्वोच्च न्यायालय का मामला "एम.एल. कामरा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस"
 - गीथा हरिहरन बनाम आर.बी.आई. (1999)
 - एन.एम.डी.सी. बनाम पंजाब राज्य (1996)

23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2020

- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार संयुक्त रूप से लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव (एन.वाई.एफ.) 2020 का आयोजन कर रहे हैं।
- 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की थीम "फिट यूथ फिट इंडिया" है।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में जानकारी

- सरकार, वर्ष 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव (एन.वाई.एफ.) का आयोजन कर रही है।
- यह युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती, 12 जनवरी को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- एन.वाई.एफ. का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के प्रयास के रूप में देश के युवाओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
- एन.वाई.एफ. 2020 का उद्देश्य चयनित विषयगत इंटरफेस पर संवाद और चर्चाओं की ओर युवाओं का ध्यान आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है जिससे कि परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर निहित हो सके।

जेड.बी.एन.एफ.: आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मनी आधारित के.एफ.डब्ल्यू. के साथ समझौता किया है।

- आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेड.बी.एन.एफ.) को प्रोत्साहित करने के लिए जर्मनी आधारित के.एफ.डब्ल्यू. के साथ एक समझौता जापान (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संदर्भ में जानकारी:

- यह उच्च लागत वाले रासायनिक इनपुट-आधारित कृषि के वर्तमान उदाहरण का एक समग्र विकल्प है।
- इस प्रकार की कृषि पद्धति किसी भी उर्वरक और कीटनाशक या किसी अन्य विदेशी तत्वों का प्रयोग किए बिना फसलों की प्राकृतिक वृद्धि में विश्वास करती है।
- शून्य बजट, शब्द का तात्पर्य सभी फसलों (अंतरफसलों, सीमा फसलों, बहु फसलों) के उत्पादन की शून्य परिणामी लागत से है।
- बीज उपचार और अन्य टीकाकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट स्थानीय रूप से गोबर और गोमूत्र के रूप में उपलब्ध हैं।
- जो राज्य शून्य बजट प्राकृतिक खेती का अभ्यास कर रहे हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल शामिल हैं।

राइथुसधिकारासमस्था के संदर्भ में जानकारी

- आंध्र प्रदेश की सरकार राइथुसधिकारासमस्था (आर.वाई.एस.एस.) के माध्यम से शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (APZBNF) कार्यक्रम लागू कर रही है।
- कार्यक्रम 2015-16 में किसानों के कल्याण, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है।
- राइथुसधिकारासमस्था, आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक गैर-लाभकारी कंपनी है।
- इसने आंध्र प्रदेश राज्य में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का संचालन किया है।

अम्मा वोडी योजना

- आंध्र प्रदेश सरकार ने "अम्मा वोडी" योजना शुरू की है।
- इस योजना में, निम्न आय वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं और अभिभावकों को योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
- अम्मा वोडी तेलुगु भाषा में 'माँ की गोद' का अनुवाद है।

अम्मा वोडी योजना पर मुख्य बातें:

- यह योजना 26 जनवरी, 2020 (गणतंत्र दिवस) से लागू की जाएगी।
- अम्मा वोडी के अंतर्गत, स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह पहल बच्चों को शिक्षित करने के लिए निम्न आय वाले परिवारों का समर्थन करने हेतु है।
- अम्मा वोडी, उन राशन कार्डधारियों के लिए उपलब्ध हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं।
- इस योजना को 2019-20 के लिए लगभग 6,455 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जो आंध्र प्रदेश के 32,618 करोड़ रुपये के कुल शिक्षा बजट का लगभग 20 प्रतिशत है।

- इस योजना के लिए पंजीकरण करने वाले सभी आवेदक आंध्र प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अब जगन्ना अम्मा वोडी पात्रता सूची की जांच कर सकते हैं।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय का आदेश कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, एक मौलिक अधिकार है।

- त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, एक मौलिक अधिकार है।

संबंधित जानकारी

- एक ऐतिहासिक आदेश में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पुलिस को किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया है, जिसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने पुलिस को मामले के संबंध में कोई अन्य गिरफ्तारी करने से भी रोक दिया है।
- मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में व्यापक रूप से टिप्पणी की है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, सरकारी कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों के लिए लागू "मौलिक अधिकार" के समान है।

मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जानकारी

- मौलिक अधिकार, संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक निर्दिष्ट किए गए हैं। इस संबंध में, संविधान के निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (अर्थात बिल ऑफ राइट्स) से प्रेरणा ली थी।
- संविधान के भाग III को भारत के महाधिकार-पत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें न्यायसंगत मौलिक अधिकारों की बहुत लंबी और व्यापक सूची है।
- मौलिक अधिकार नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वे संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित हैं, जो भूमि का मौलिक कानून है।
- वे इस संदर्भ में भी 'मौलिक' हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास (सामग्री, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- मूल रूप से, संविधान ने सात मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जो हैं:
 - समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
 - स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
 - शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
 - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
 - सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
 - संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
 - संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है।
- अतः वर्तमान में केवल छह मौलिक अधिकार हैं।

विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन

- विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अब् धाबी में शुरू होगा।
- इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम "वैश्विक खपत, उत्पादन और निवेश पर पुनर्विचार करना है।"

विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, मध्य पूर्व का सबसे बड़ा भविष्य ऊर्जा और स्थिरता कार्यक्रम है।
- यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो भविष्य की ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।
- यह 2011 में यू.ए.ई. द्वारा शुरू किया गया था।

रायसीना वार्तालाप का पांचवां संस्करण

- नई दिल्ली में भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन, रायसीना वार्तालाप आयोजित हो रहा है।
- इस वर्ष की थीम 'नेवीगेटिंग अल्फा सेंचुरी' है।

रायसीना वार्तालाप के संदर्भ में जानकारी

- प्रतिष्ठित कार्यक्रम के पांचवें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- तीन दिवसीय सम्मेलन में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क, उजबेकिस्तान और यूरोपीय संघ सहित 12 विदेश मंत्रियों की भागीदारी होगी।

नोट:

- इस सम्मेलन का नाम "रायसीना हिल्स" के नाम पर रखा गया है, जो भारत सरकार और राष्ट्रपति भवन की सीट है।
- इस संवाद को शांगरी-ला संवाद की तर्ज पर डिजाइन किया गया था।

सरकार ने सड़क दुर्घटना डेटाबेस लॉन्च किया है।

- हाल ही में, सरकार ने एक केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली शुरू की है।
- यह देश में इस तरह की दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने और सुरक्षा हस्तक्षेपों को तैयार करने में मदद करेगी।

सबसे अधिक मौतें

- इस प्रणाली को पहले परीक्षण आधार पर सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतों वाले छह राज्यों- कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा।
- आई.आर.ए.डी. में परीक्षण से सीखने के आधार पर सुधार किया जाएगा, जिसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

यह किस प्रकार काम करता है

- आई.आर.ए.डी. मोबाइल एप्लिकेशन, पुलिस कर्मियों को फोटो और वीडियो के साथ एक सड़क दुर्घटना के बारे में विवरण दर्ज करने में सक्षम करेगा, जिसके बाद घटना के लिए एक यूनिक आई.डी. बनाई जाएगी।
- इसके बाद, लोक निर्माण विभाग या स्थानीय निकाय के एक इंजीनियर को अपने मोबाइल डिवाइस पर अलर्ट प्राप्त होगा।
- वह दुर्घटना स्थल का दौरा करेगा, इसकी जांच करेगा और आवश्यक विवरण जैसे सड़क का डिजाइन आदि दर्ज करेगा।
- इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण आई.आई.टी.-एम. में एक टीम द्वारा किया जाएगा, जो सुझाव देगा कि क्या सड़क डिजाइन में सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

व्याख्या: पुलिस कमिश्नरी प्रणाली क्या है?

- उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की राजधानी लखनऊ और नोएडा के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को मंजूरी प्रदान की है।
- यह प्रणाली पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.) रैंक के आई.पी.एस. अधिकारियों को कमिश्नर के रूप में तैनात करती है और उन्हें मजिस्ट्रियल शक्तियों सहित अधिक जिम्मेदारियां प्रदान करती है।
- यहां सफलता के आधार पर पुलिसिंग प्रणाली धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी लागू की जा सकती है।

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, 'पुलिस' राज्य सूची के अंतर्गत है, जिसका अर्थ है कि अलग-अलग राज्य सामान्यतः इस विषय पर कानून बनाने और नियंत्रण का अभ्यास कर सकते हैं।

- जिला स्तर पर फोर्स की व्यवस्था में, नियंत्रण की एक 'दोहरी प्रणाली' मौजूद है, जिसमें पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) को पुलिस प्रशासन की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डी.एम.) के साथ काम करना पड़ता है।
- महानगरीय स्तर पर, कई राज्यों ने दोहरी प्रणाली को कमिश्नरी प्रणाली से प्रतिस्थापित किया है क्योंकि यह जटिल शहरी केंद्रित मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने की अनुमति देने वाला माना जाता है।
- कमिश्नरी प्रणाली में, पुलिस आयुक्त (सी.पी.), एक एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है, जो शहर में फोर्स के लिए जिम्मेदार होता है और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है।
- इस पद में मजिस्ट्रेरियल शक्तियां भी शामिल होती हैं, जो विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित हैं।
- सी.पी. को उप महानिरीक्षक रैंक या उससे ऊपर के रैंक से लाया जाता है और विशेष/ संयुक्त/ अतिरिक्त/ उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

यह कितने राज्यों में है?

- बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में कमिश्नरी प्रणाली है।

इतिहास

- अंग्रेजों ने इस प्रणाली को सबसे पहले कोलकाता में लागू किया था और इसके बाद मुंबई और चेन्नई प्रेसीडेंसी में लागू किया था। दिल्ली, मोरारजी देसाई के शासन के दौरान एक कमिश्नरी में बदली थी।
- 1978 में, कानपुर से शुरुआत करके उत्तर प्रदेश में इस प्रणाली को शुरू करने की पहल कभी भी कार्यान्वित न हो सकी।

सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए नीति प्रकाशित की है।

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक राष्ट्रीय नीति प्रकाशित की है, जिसमें 450 बीमारियों को दुर्लभ के रूप में सूचीबद्ध किया गया लेकिन उपचार पर एक विस्तृत रोडमैप प्रदान नहीं किया है।

नीति के संदर्भ में जानकारी:

- नवीनतम नीति में दुर्लभ बीमारियों की तीन श्रेणियां हैं:
 - एक समय के रोगनिवारक उपचार वाली बीमारियां
 - ऐसी बीमारियाँ जिनके लिए दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता होती है लेकिन लागत कम होती है।
 - ऐसे रोग जिनके जीवन भर इलाज की आवश्यकता होती है और लागत अधिक होती है।
- नीति में कहा गया है कि केंद्र, एक समय के रोगनिवारक उपचार वाली दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगा।
- यह उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों तक सीमित है।
- इस श्रेणी की कुछ बीमारियां ऑस्टियोपेट्रोसिस, प्रतिरक्षा की कमी के विकार और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हैं।

दुर्लभ रोगों के संदर्भ में जानकारी

- दुर्लभ बीमारी, निम्न संभावना की स्वास्थ्य स्थिति है जो सामान्य आबादी में अन्य प्रचलित बीमारियों की तुलना में कम संख्या में लोगों को प्रभावित करती हैं।
- भारत में, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और बच्चों में प्राथमिक प्रतिरक्षा की कमी, ऑटो-इम्यून रोग, पोम्पे रोग और गौचर रोग जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज विकार दुर्लभ बीमारियों की सूची में हैं।

दुर्लभ बीमारियों पर नीति बनाने की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियाँ

- बाल रोग विभाग, एम्स, नई दिल्ली के प्रमुख प्रोफेसर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक समिति- दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के लिए चिकित्सा का प्राथमिकताकरण' बनाई गई थी।
- भारत में दुर्लभ बीमारियों पर उप-समिति- 'थेरेपी और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश' का गठन प्रो. आई.सी. वर्मा, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स जेनोमिक्स, सर गंगा राम अस्पताल की अध्यक्षता में किया गया था
- डॉ. दीपक के. टेम्पे, डीन, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एम.ए.एम.सी.), नई दिल्ली की अध्यक्षता में दुर्लभ बीमारियों पर एक उच्च स्तरीय अंतःविषय समिति का गठन किया गया था।

नोटः

राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना

- यह योजना उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जो चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं।

केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता अधिनियम को चुनौती दी है।

- केरल, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सी.ए.ए.) को चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है।
- केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत दायर याचिका में कहा गया है कि अधिनियम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद 131 के संदर्भ में जानकारी

- सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं:
 - मूल
 - अपीलीय
 - सलाहकार
- अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत शीर्ष अदालत से राय लेने की शक्ति प्राप्त है।
- अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय, निचली अदालतों से अपील सुनता है।
- अपने असाधारण मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों को सुलझाने की विशेष शक्ति है, जो राज्यों और केंद्र को शामिल करते हैं और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, इसके प्रावधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पास निम्न के बीच किसी भी विवाद से निपटने के लिए मूल अधिकार क्षेत्राधिकार है:
 - केंद्र और एक राज्य
 - केंद्र और एक तरफ एक राज्य और दूसरी तरफ अन्य राज्य
 - दो या अधिक राज्य
- अनुच्छेद 131 का इस्तेमाल विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री 'सक्षम' लांच करने जा रहे हैं।

- केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री पी.सी.आर.ए. के वार्षिक एक महीने लंबे जन-केंद्रित ईंधन संरक्षण मेगा अभियान 'सक्षम' को लांच करने जा रहे हैं।

सक्षम के संदर्भ में जानकारी



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का एक जन-केंद्रित ईंधन संरक्षण मेगा अभियान है।
- इस अभियान का उद्देश्य जन-केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।
- इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और प्रभावी उपयोग के लिए जागरूक करने के प्रयासों को तेज करना है।

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है।
- पी.सी.आर.ए. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में लगा हुआ है।
- यह तेल की आवश्यकताओं पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियां और रणनीतियां प्रस्तावित करने में भी सरकार की मदद करता है।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020

- हाल ही में, वार्षिक हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और सबसे कमजोर पासपोर्ट के साथ अफ़ग़ानिस्तान 107वें स्थान पर है।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- अपने नागरिकों के लिए यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार हेनले पासपोर्ट सूचकांक, देशों की एक वैश्विक रैंकिंग है।
- इसकी शुरुआत 2006 में हेनली एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में हुई थी और इसे जनवरी, 2018 में संशोधित किया गया था और नया नाम दिया गया था।
- यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आई.ए.टी.ए.) के डेटा पर आधारित है, जो सभी प्रमुख कैरियर सहित कुछ 290 एयरलाइनों का एक व्यापारिक संघ है।
- इस सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य शामिल हैं। जब वीजा नीति में बदलाव होता है तो डेटा को वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है।
- पासपोर्ट की क्षमता को उन देशों के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां के धारक बिना वीजा के यात्रा करने के लिए पात्र हैं।
- इसका तात्पर्य है कि गंतव्य देश में प्रवेश करने पर पासपोर्ट धारक आगमन पर वीजा, इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण या आगंतुक का परमिट प्राप्त कर सकते हैं।

वैश्विक परिदृश्य

- जापान लगातार तीन वर्षों से सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, 2020 के सूचकांक के अनुसार, इसके नागरिक अग्रिम में वीजा प्राप्त किए बिना 191 गंतव्यों तक पहुंचने में सक्षम हैं।
- सिंगापुर दूसरे स्थान पर (2019 में भी) है, सिंगापुर का वीजा-मुक्त/ वीजा-ऑन एराइवल स्कोर 190 है। जर्मनी 189 गंतव्यों तक पहुंच के साथ तीसरे (2019 में भी यही स्थिति है) स्थान पर है।
- अमेरिका और यू.के. क्रमागत सूचकांकों में लगातार नीचे जा रहे हैं।
- दोनों देश 2020 में आठवें स्थान पर हैं, 2015 में संयुक्त रूप से पहले स्थान से महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है।

MOST POWERFUL PASSPORTS, 2020

Passport	Henley rank	Access to destinations
Japan	1	191
Singapore	2	190
SKorea	3	189
Germany	3	189
Italy	4	188
Finland	4	188
Spain	5	187
Luxembourg	5	187
Denmark	5	187

All information: Henley Passport Index 2020 and earlier editions



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

भारत का परिदृश्य:

- भारतीय पासपोर्ट की 2020 रैंकिंग में 84वें स्थान पर है, भारत के वीजाधारक 58 गंतव्यों पर वीजामुक्त यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 33 वे शामिल हैं जो भारतीयों को आने पर वीजा देती हैं।
- 2006 में सूचकांक के शुरू होने से भारतीय पासपोर्ट 71वें से 88वें स्थान पर आ गया है।
- भारतीय पासपोर्ट 2019 (59 गंतव्यों तक वीजामुक्त पहुंच के साथ, 82वें स्थान पर) और 2018 (60 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ 81वें स्थान पर) में उच्च स्थान पर रहा है।

2020 के लिए वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियां

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 के लिए 13 अति आवश्यक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की एक सूची जारी की है।
- 13 संभावित खतरों की सूची में एक नया प्रवेश, पहुंच की कमी को दर्शाता है।
- ये 13 संभावित खतरे/ चुनौतियाँ हैं:
 - जलवायु संकट
 - संघर्ष और संकट में स्वास्थ्य सेवाएं वितरित करना
 - स्वास्थ्य देखभाल में समानता
 - दवाओं तक पहुंच का विस्तार
 - संक्रामक रोग
 - महामारी के लिए तैयारी करना
 - अर्जन सार्वजनिक ट्रस्ट
 - जीनोम एडिटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई तकनीकों का दोहन करना
 - एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध का उदय
 - असुरक्षित भोजन और अस्वास्थ्यकर आहार जैसे खतरनाक उत्पाद
 - हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले लोगों में निवेश करना
 - किशोर को सुरक्षित रखना क्योंकि 10 से 19 वर्ष की आयु के एक लाख से अधिक किशोर प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं।
 - स्वच्छ जल, स्वच्छता, सफाई चार स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक के रूप में विश्व स्तर पर बुनियादी पानी, स्वच्छता और स्वच्छता (WASH) सेवाओं का अभाव है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में जानकारी

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- डब्ल्यू.एच.ओ., संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है।

ब्रू शरणार्थी

- केंद्रीय गृह मंत्री ने त्रिपुरा में स्थायी रूप से विस्थापित ब्रू लोगों को स्थायी रूप से बसाने के लिए त्रिपुरा, मिजोरम की राज्य सरकारों और ब्रू समुदाय के नेताओं के साथ एम.एच.ए. की एक चतुष्कोणीय संधि पर हस्ताक्षर करने की अध्यक्षता की है।

ब्रू लोगों के संदर्भ में जानकारी

- ब्रू समुदाय को रींग्स के नाम से भी जाना जाता है।
- ये लोग असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में फैले हुए हैं।
- मिजोरम राज्य में वे ममित, लुंगली और ल्वांगतलाई जिलों के छोटे इलाकों में निवास करते हैं।
- हालांकि, सबसे बड़ा हिस्सा त्रिपुरा के उत्तर त्रिपुरा जिले में स्थित ममित में निवास करता है।

मिज़ो और ब्रू के बीच क्या संघर्ष है?

1995 में बहुसंख्यक मिज़ो के साथ संघर्ष ने मिज़ो ज़िरलाई पावल (छात्र संघ) जैसे प्रभावशाली संगठनों ने मांग की थी कि ब्रू को गैर-स्वदेशी जनजाति के रूप में लेबल किया जाए और उन्हें मिज़ोरम के निर्वाचन तालिका से हटा दिया जाए।

- इसके कारण चरमपंथी ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक सशस्त्र आंदोलन किया था, जिसमें 21 अक्टूबर, 1997 को एक मिज़ो वन अधिकारी की हत्या कर दी थी।
- कई ब्रू गांवों को जला दिया गया था और कथित रूप से उनके साथ बलात्कार किया गया था और मार दिया गया था।
- हजारों ब्रू, उत्तरी त्रिपुरा में भाग गए थे, जहां उन्हें छह राहत शिविरों में शरण दी गई थी, कंचनपुर और पानीसागर उपखंडों में प्रत्येक में तीन-तीन राहत शिविर लगाए गए थे।
- अधिकांश शरणार्थी ममित से थे और कुछ शरणार्थी कोलासिब और लुंगली से थे।

शंघाई सहयोग संगठन

- हाल ही में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) की सरकार प्रमुखों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसे भारत में 2020 में आयोजित किया जाएगा।

शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) के संदर्भ में जानकारी

- इसकी स्थापना जून, 2001 में चीन, रूस और मध्य एशियाई राज्यों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान द्वारा की गई थी।
- इसने गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ सहयोग करने का लक्ष्य रखा है, विशेष रूप से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तथाकथित "तीन बुराइयों" से लड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- आश्चर्यजनक रूप से, 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को पूर्ण सदस्य राज्यों के रूप में स्वीकार करने का निर्णय क्षेत्र के आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों दोनों द्वारा संशयात्मक रूप से स्वीकार किया गया था।
- तथ्य यह है कि एस.सी.ओ. भी अपने सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता है।
- 2017 में एस.सी.ओ. का पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर में शत्रुता और तनाव के बावजूद एस.सी.ओ. और क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (आर.ए.टी.एस.) की कई बैठकों में भाग लिया है।
- शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक कार्यकारी भाषाएँ चीनी और रूसी हैं।

क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना के संदर्भ में जानकारी

- यह एस.सी.ओ. का एक स्थायी अंग है, जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों के खिलाफ सदस्य राज्यों के सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है।
- इसका मुख्यालय उजबेकिस्तान के ताशकंद में स्थित है।
- आर.ए.टी.एस. के प्रमुख को तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य राज्य आर.ए.टी.एस. को एक स्थायी प्रतिनिधि भी भेजता है।

नोट:

- 2019 शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.), 21-22 मई, 2019 को बिश्केक (किर्गिज़ गणराज्य) में आयोजित किया गया था।

रोज़गारसंगी ऐप

- हाल ही में, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने एक मोबाइल फोन ऐप- रोज़गारसंगी लॉन्च किया है।

रोज़गारसंगी एप्लीकेशन के संदर्भ में जानकारी

- यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरियों दिलाना है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- यह स्टार्ट-अप कंपनियों की कार्यालय कर्मचारियों को काम पर रखने में भी मदद करेगा।
- ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की मदद से विकसित किया गया है।
- यह कुशल और प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए पहुंच बढ़ाएगा जिसके परिणामस्वरूप नौकरी के अवसर बढ़ेंगे।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारत सरकार द्वारा 1976 में देश में अपनी तकनीक और ई-गवर्नेंस पहलों के संचालन हेतु स्थापित किया गया एक संस्थान है।
- यह संस्थान, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभाग का हिस्सा है।
- एन.आई.सी. सरकार के "सूचना विज्ञान-नेतृत्व-विकास" कार्यक्रम में एक सक्रिय उत्प्रेरक और सूत्रधार रहा है (इसे ई-गवर्नेमेंट प्रोग्राम, ई-गवर्नेंस प्रोग्राम भी कहा जा सकता है)।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सी.ए.आर.ए.) ने नई दिल्ली में अपना पांचवाँ वार्षिक दिवस मनाया है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह देश के भीतर गोद लेने को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार का एक सर्वोच्च निकाय है और केंद्रीय अंतर-देश दत्तक ग्रहण विनियमन प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।
- यह अपनी संबंधित/ मान्यता प्राप्त गोद लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, छोड़े गए और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने से भी संबंधित है।
- इसे 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग सम्मेलन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

हेग सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- बच्चों के संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के सापेक्ष सहयोग पर हेग सम्मेलन, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन द्वारा विकसित एक बहुपक्षीय संधि है।
- यह सम्मेलन 1993 में सम्पन्न हुआ था और वर्ष 1995 में अपनाया गया था।
- यह सम्मेलन 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है।
- यह सम्मेलन बच्चों और उनके परिवारों को विदेशों में अवैध, अनियमित, समय से पहले या बीमार दत्तक ग्रहण के जोखिमों से बचाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय भी करता है कि सभी अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम हित में हों और उनके मानवाधिकारों का सम्मान करते हों।
- यह गारंटी देने हेतु देशों के बीच सहयोग को भी सुनिश्चित करता है कि इन सुरक्षा उपायों का सम्मान किया जाए और बच्चों के अपहरण, बिक्री या तस्करी को रोका जा सके।

व्याख्या: पंजाब का नया व्यापारिक अधिकार विधेयक क्या है?

- पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब व्यापारिक अधिकार विधेयक, 2020 को अपनी मंजूरी प्रदान की है।

विधेयक के संदर्भ में जानकारी

- व्यापार का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य राज्य में एम.एस.एम.ई. की स्थापना और संचालन के लिए कुछ निश्चित स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान करना और स्व-घोषणा के सक्षम प्रावधान प्रदान करके नए शामिल किए गए एम.एस.एम.ई. पर विनियामक बोझ को कम करना है।
- अधिनियम में विभिन्न विनियामक सेवाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें भवन योजनाओं की मंजूरी, भवनों के लिए पूर्णता/ कब्जे का प्रमाण पत्र जारी करना, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 और पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 के अंतर्गत नए व्यापार लाइसेंस का पंजीकरण करना शामिल हैं।

अन्य निर्णय



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- मंत्रिमंडल ने 16 और 17 जनवरी को दो दिनों के लिए संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अनुसार राज्यपाल को 15वीं पंजाब विधानसभा के 10वें सत्र को बुलाने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया है।
- इसने संवैधानिक (126वां संशोधन) विधेयक की पुष्टि करने के लिए प्रस्ताव पारित करने हेतु भी आगे का रास्ता भी दिया है।
- संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, 2019 पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 25 जनवरी, 2020 से अगले एक दशक के लिए विस्तारित करता है।
- मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक बिल के साथ पंजाब उत्पाद एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अधिनियमन को भी मंजूरी प्रदान की है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून हेतु केंद्र

- गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप प्रदान किया है, जिसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने हेतु गठित किया गया था।
- वे सिफारिशें, जिनमें भारतीय दंड संहिता में नए प्रावधानों को जोड़ना शामिल है, उन सिफारिशों को जनता के समक्ष टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु रखा जाएगा।

समिति के संदर्भ में जानकारी

- अक्टूबर, 2018 में #मीटू आंदोलन के परिणामस्वरूप कई महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी परख साझा करने के बाद पहले मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था।
- श्रीमान शाह के अंतर्गत जुलाई, 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया था।
- इसके अन्य सदस्यों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) मंत्री, रमेश पोखरियाल और महिला एवं बाल विकास, मंत्री स्मृति ईरानी हैं।

महिला एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के संदर्भ में जानकारी

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2013 में महिला एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम को अधिनियमित किया था।
- यह अधिनियम सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा।
- प्रस्तावित संशोधन काफी हद तक 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देशों पर आधारित होंगे, जिस पर 2013 अधिनियम आधारित था।
- इसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की गतिविधियों को रोकने या निरूद्ध करने के लिए नियोक्ता को जिम्मेदार बनाया है।
- यह अधिनियम यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निवारण की सुविधा के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखाओं में आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
- यह असंगठित क्षेत्र या उन प्रतिष्ठानों के लिए जहां आई.सी.सी. का गठन नहीं किया गया है और 10 से कम कर्मचारी हैं, के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने और उनके निवारण के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति (एल.सी.सी.) की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करता है।

नोट:

- केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जिसे "यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (SHe-Box)" कहा जाता है।

सूर्य प्रकाश समिति

- राज्यसभा टेलीविजन (आर.एस.टी.वी.) और लोकसभा टेलीविजन (एल.एस.टी.वी.) का विलय अंतिम चरण में है, छह सदस्यीय समिति द्वारा इस महीने के अंत तक एक रिपोर्ट उच्च सदन के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

समिति के संदर्भ में जानकारी

- नवंबर, 2019 में गठित समिति का नेतृत्व प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कर रहे हैं।
- इसका जनादेश "दो चैनलों के विलय के लिए संसाधनों, श्रमशक्ति और प्रौद्योगिकी के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और उनके तौर-तरीकों पर काम करना है"।
- सूत्रों के अनुसार, समिति दो विकल्पों के बीच मूल्यांकन कर रही है।
 - पहला, एक ही चैनल होना और संसद सत्र के दौरान, दोनों सदनों की लाइव डिबेट को प्रसारित करने के लिए एक "संस्करण" है।
 - सूत्रों के अनुसार, दूसरा विकल्प है कि दो चैनलों के साथ जारी रखना लेकिन तकनीकी और मानव संसाधनों के एक सामान्य पूल के साथ "एकीकृत प्रबंधन" के अंतर्गत जारी रखना।
- संसद एक वर्ष में लगभग 100 दिनों के लिए सत्र में रहती है और शेष अवधि के लिए, हमें वास्तविकता में दो चैनलों की आवश्यकता नहीं है।

पल्स पोलियो कार्यक्रम

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम उम्र में बच्चों को प्रभावित करने वाली बीमारी की जांच के लिए अभियान शुरू किया है।

पोलियो के संदर्भ में जानकारी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस को "अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित बीमारी" के रूप में परिभाषित किया है, जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करती है।

हस्तांतरण

- वायरस व्यक्ति-से-व्यक्ति द्वारा प्रेषित होता है, मुख्य रूप से मल-मौखिक मार्ग के माध्यम से फैलता है या एक सामान्य वाहक (जैसे दूषित पानी या भोजन) द्वारा कम फैलता और आंत में गुणज के रूप में बढ़ता है, जहां से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और लकवा का कारण बन सकता है।
- पोलियो के शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और अंगों में दर्द होना शामिल हैं। मामलों के एक छोटे से अनुपात में रोग, लकवा का कारण बनता है, जो प्रायः स्थायी होता है।
- पोलियो का कोई इलाज नहीं है, इसे केवल टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है।

भारत का पल्स पोलियो कार्यक्रम

- भारत ने 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यू.एच.ए.) द्वारा अपनाई गई पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल के लिए एक प्रस्ताव के बाद 1995 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है।
- 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय टीकाकरण राउंड (उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में) के दौरान पोलियो की बूंदें पिलाई जाती हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में पोलियो का आखिरी मामला जनवरी, 2011 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से सामने आया था।
- 24 फरवरी, 2012 को डब्ल्यू.एच.ओ. ने भारत को उन देशों की सूची से हटा दिया है, जहां सक्रिय स्थानिक जंगली पोलियो वायरस संक्रमण है।

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की पहल

- पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने देश में किसी भी पोलियो के प्रकोप का जवाब देने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम (आर.आर.टी.) विकसित की है।

- राज्यों द्वारा आपातकालीन तैयारी एवं प्रतिक्रिया योजना (ई.पी.आर.पी.) भी विकसित की गई है, जो एक पोलियो मामले का पता लगाने के मामले में उठाए जाने वाले कदमों का संकेत है।
- वायरस को भारत आने से रोकने के लिए सरकार ने मार्च, 2014 के बाद से भारत और पोलियो से प्रभावित देशों जैसे कि अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया और कैमरून के बीच यात्रा करने वालों के लिए ओरल पोलियो टीकाकरण (ओ.पी.वी.) अनिवार्य कर दिया है।

नोट:

- इस वर्ष के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति भवन, पोलियो टीकाकरण अभियान का स्थल बन गया है।

प्रत्यागामी क्षेत्र

- विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44 ए के अंतर्गत "प्रत्यागामी क्षेत्र" घोषित किया गया है।
- अधिसूचना ने यू.ए.ई. में एक ही खंड के अंतर्गत "सर्वोच्च न्यायालय" होने की अदालतों की सूची भी घोषित की है।

सी.पी.सी. की धारा 44

- धारा 44 ए, जिसका शीर्षक "प्रत्यागामी क्षेत्र में न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेशों का निष्पादन" है, यह भारत में न्यायालयों के आदेशों के निष्पादन के विषय पर कानून प्रदान करता है और इसके विपरीततः है।

यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

- ऐसा माना जाता है कि यह निर्णय दोनों देशों के बीच आदेशों को लागू करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद करता है।
- अब यू.ए.ई. में भारतीय प्रवासियों को यू.ए.ई. में नागरिकता मामले में दोषी ठहराए जाने पर अपने गृह देश में सुरक्षित आश्रय नहीं मिल पाएगा।

नोट:

- दुबई के अतिरिक्त, "प्रत्यागामी क्षेत्र" घोषित किए गए अन्य देश यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड्स (नीयू सहित) और पश्चिमी समोआ के ट्रस्ट प्रदेश, हांगकांग, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, अदन हैं।

भशन चार द्वीप: 100,000 रोहिंग्या शरणार्थियों का घर

- बांग्लादेश सरकार ने अपने भशन चार द्वीप में 100,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को समायोजित करने की योजना बनाई है।

भशन चार द्वीप के संदर्भ में जानकारी

- दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में हटिया द्वीप के लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में भशन चार, एक निर्जन द्वीप है।
- भशन चार द्वीप का निर्माण लगभग दो दशक पहले मेघना नदी के मुहाने पर हुआ था।
- भशन चार, पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां बाढ़, कटाव और चक्रवात का जोखिम है।
- हालांकि बांग्लादेश सरकार ने चक्रवातों के दौरान ज्वारीय हिलोरों से बचने के लिए इसकी परिधि पर तीन मीटर ऊंचा तटबंध बनाया है।

रोहिंग्या के संदर्भ में जानकारी

- रोहिंग्या 15वीं शताब्दी में बसे म्यांमार में राखीन राज्य (अराकान के रूप में भी जाना जाता है) के स्वदेशी लोग हैं।
- ये बड़े पैमाने पर मुस्लिमों से मिलकर बने जातीय समूह भी हैं।
- म्यांमार में, उन्हें निवासी विदेशियों या सहयोगी नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

ऑनलाइन युवा संसद कार्यक्रम

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संसदीय मामलों का मंत्रालय, संविधान के 70 वर्षों का जश्न मनाने हेतु ऑनलाइन युवा संसद कार्यक्रम के लिए एक साथ साझेदारी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय युवा संसद योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसे 1966 में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के एन.सी.टी. और एन.डी.एम.सी., केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों के अंतर्गत स्कूलों में लॉन्च किया गया था।
- यह योजना संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- इस योजना में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करना शामिल है।
- वेब-पोर्टल की मुख्य विशेषताएं हैं:-
 - देश के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
 - प्रतिभागियों के ऑनलाइन स्वाध्याय के लिए पोर्टल पर ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल, वीडियो, फोटोग्राफ और स्क्रिप्ट उपलब्ध हैं।
 - इस बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र को एक डिजिटल "भागीदारी का प्रमाणपत्र" मिलेगा और शिक्षक-प्रभारी और संसथान के प्रमुख को वेब पोर्टल के माध्यम से "प्रशंसा प्रमाणपत्र" मिलेगा।

युवा सह: प्रयोगशाला

- अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने तीन दिवसीय युवा सह: प्रयोगशाला: नई दिल्ली में राष्ट्रीय नवाचार चुनौती की मेजबानी की है।

युवा सह: प्रयोगशाला के संदर्भ में जानकारी

- यह 2017 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) और सिटी फाउंडेशन द्वारा सहयोगी रूप से बनाया गया है।
- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, भारत में युवा नेतृत्व और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- यह एशिया-प्रशांत देशों के लिए नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निवेश करने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक साझा एजेंडा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.) के संदर्भ में जानकारी

- अटल इनोवेशन मिशन (ए.आई.एम.) की स्थापना 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- यह उन संस्थानों और कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहता है जो सामान्य रूप से स्कूलों, कॉलेजों और उद्यमियों में नवाचार को बढ़ाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को लोकसभा अध्यक्षों की शक्तियों की समीक्षा करने और विधानसभा से सदस्यों का अयोग्य घोषित करने के लिए कहा है।

- एक अग्रणी फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिकाओं को एक अध्यक्ष को एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में सौंपा जाना चाहिए, जब ऐसे अध्यक्ष या तो कानूनन या वास्तविकता में किसी विशेष पार्टी से संबंधित होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि तेज और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए संसद, एक स्थायी अधिकरण के साथ अयोग्यता मुद्दे के मध्यस्थ के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्षों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करने पर विचार कर सकती है, इस अधिकरण की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य तंत्र द्वारा की जानी चाहिए।
- न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने सांसदों द्वारा अयोग्य ठहराए जाने की दलीलों को स्वीकार करने में देरी और अयोग्य ठहराए जाने वाली भूमिका पर ध्यान दिया है और मणिपुर विधानसभा

अध्यक्ष से भाजपा सांसदों और मणिपुर के वन मंत्री ठा. श्यामकुमार की अयोग्यता की मांग करने वाली कांग्रेस की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है।

- पीठ ने कहा है कि यदि चार सप्ताह की अवधि के बाद भी कोई निर्णय नहीं होता है तो यह मामला आगे के निर्देशों/ राहत के लिए इस अदालत में आवेदन करने के लिए कार्यवाही हेतु किसी भी पक्ष के लिए खुला होगा।
- शीर्ष अदालत मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता कीशम मेघाचंद्र सिंह की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया है।

- सरकार ने देश में नवाचार और स्टार्ट-अप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया है।

परिषद की संरचना

- इसकी अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री करेंगे।
- इसमें केंद्र द्वारा नामित गैर-आधिकारिक सदस्यों, सफल स्टार्ट-अप के संस्थापकों, भारत में कंपनियों को विकास और उन्नति पर पहुँचाने वाले अनुभवी व्यक्तियों, स्टार्ट-अप में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा।
- गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि का होगा।
- मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के वे नामित व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हैं, वे पदेन सदस्य होंगे।

सलाहकार परिषद के शासनादेश

- यह देश में स्टार्टअप को स्थायी आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है।
- यह सार्वजनिक संगठनों की सुविधा के लिए उपाय भी सुझाएगा
 - नवाचार को आत्मसात करना
 - सृजन को बढ़ावा देना
 - बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण और व्यावसायीकरण
 - विनियामक अनुपालन और लागतों को कम करके व्यवसायों को शुरू करना, संचालित करना, बढ़ाना और बाहर निकलना आसान बनाता है।
- यह स्टार्ट-अप के लिए पूंजी तक पहुंच में आसानी को बढ़ावा देने, निवेश के लिए घरेलू पूंजी को प्रोत्साहित करने, निवेश के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने और मूल प्रवर्तकों के साथ स्टार्ट-अप का नियंत्रण रखने के तरीके भी सुझाएगा।

मंत्रिमंडल ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय को मंजूरी प्रदान की है।

- मंत्रिमंडल ने दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के विलय किए गए केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय के रूप में दमन के पदनाम को मंजूरी प्रदान की है।
- दादरा और नगर हवेली मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2005 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विनियम, 2020 के रूप में संशोधित किया जाना है।
- इन संशोधनों से सामान्य कराधान प्राधिकरण होने के माध्यम से न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन को बढ़ावा मिलेगा:
 - काम के दोहराव को कम करके और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करके नागरिकों को सेवाओं का बेहतर वितरण करना

- जी.एस.टी., वॉट और राज्य सीमा शुल्क से संबंधित कानूनों में अधिक एकरूपता लाने में भी मदद मिलेगी।

लोकतंत्र सूचकांक 2019

- हाल ही में, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है।

लोकतंत्र सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- यह इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किया गया है।
- यह 165 स्वतंत्र राज्यों और दो क्षेत्रों में दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है।
- यह चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, सरकार के कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता पर आधारित है।

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- लोकतंत्र सूचकांक ने 2019 को एशियाई लोकतंत्रों के लिए एक "अशांतिप्रिय वर्ष" के रूप में वर्णित किया है।
- नॉर्वे 9.87 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है, जब कि उत्तर कोरिया 1.08 के स्कोर के साथ वैश्विक रैंकिंग में सबसे नीचे है।
- चीन का स्कोर 2.26 रहा है और यह अब रैंकिंग के निचले हिस्से के करीब 153वें स्थान पर है।
- तीन देश- चिली, फ्रांस और पुर्तगाल- "त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र" श्रेणी से "पूर्ण लोकतंत्र" श्रेणी में चले गए हैं।
- माल्टा विपरीत दिशा में चला गया है, यह "पूर्ण लोकतंत्र" से बाहर निकलकर "त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र" बन गया है।

भारत और सूचकांक

- लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत 10 पायदान गिरकर 51वें स्थान पर पहुँच गया है।

रैंकिंग कम होने के कारण

- देश में नागरिक स्वतंत्रता के क्षरण का वर्णन करने वाला सर्वेक्षण, लोकतांत्रिक प्रतिगमन का प्राथमिक कारण है।

सेल सेवा योजना शुरू

- इस्पात मंत्री ने सेल कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक SAIL एंप्लॉयी रैंडरिंग वोलंटारिज्म एंड इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट (सर्विस) का शुभारंभ किया है।

योजना के संदर्भ में जानकारी

- "SAIL एंप्लॉयी रैंडरिंग वोलंटारिज्म एंड इनिशिएटिव्स फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट (सर्विस)" नामक योजना, संरचित तरीके से कर्मचारियों द्वारा परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा और सुविधा प्रदान करेगी।
- यह 24 जनवरी से चालू होगा, जो पी.एस.यू. का स्थापना दिवस है।
- इसके अंतर्गत, पी.एस.यू. के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और पोषण सहित अन्य क्षेत्रों में योगदान देंगे।

केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी प्रदान की है, जो छह महीने के लिए 31.7.2020 तक विस्तारित की गई है।

प्रभाव:

- ओ.बी.सी. की मौजूदा सूची में शामिल वे समुदाय, जिन्हें केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओ.बी.सी. के आरक्षण की योजना का कोई प्रमुख लाभ नहीं मिल पाया है, उनके आयोग की सिफारिशें लागू होने पर लाभान्वित होने की उम्मीद है।
- आयोग के द्वारा ओ.बी.सी. की केंद्रीय सूची में ऐसे सीमांत समुदायों के लाभ के लिए सिफारिशें करने की संभावना है।

वित्तीय सम्भावनाएँ:

- इसमें शामिल व्यय, आयोग की स्थापना और प्रशासन की लागत से संबंधित है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

लाभ:

- एस.ई.बी.सी. की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों/ समुदायों से संबंधित सभी व्यक्तियों लेकिन जिन्हें केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ओ.बी.सी. के आरक्षण की योजना का कोई प्रमुख लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- इस आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था।
- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्रीमती जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को कामकाज शुरू किया था और तब से उन सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की है, जिनके पास उपवर्गीकृत ओ.बी.सी. और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हैं।

राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म

- नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म (एन.डी.ए.पी.) के लिए अपना दृष्टिकोण जारी किया है।

नेशनल डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म के संदर्भ में जानकारी

- इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है।
- यह विभिन्न सरकारी वेबसाइटों के नवीनतम डेटासेट की मेजबानी करेगा, उन्हें सुसंगत रूप से प्रस्तुत करेगा और विश्लेषण और विजुअलाइज़ेशन के लिए उपकरण प्रदान करेगा।
- प्लेटफॉर्म का पहला संस्करण 2021 में लॉन्च होने की उम्मीद है।
- यह प्रक्रिया एक उपयोगकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण का अनुसरण करेगी और अपने विकास के दौरान विभिन्न उपयोगकर्ताओं और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करेगी।
- एन.डी.ए.पी. उन फॉरमेटों के मानकीकरण को बढ़ावा देगा जिसमें डेटा को क्षेत्रों में प्रस्तुत किया जाता है और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तनकर्ताओं, डेटा वैज्ञानिकों, पत्रकारों और नागरिकों के व्यापक दर्शकों को पूरा करेगा।

गति वेब पोर्टल

- केंद्रीय मंत्री ने प्रगति (PRAGATI) की तर्ज पर एक ऑनलाइन वेब पोर्टल 'गति (GATI)' लॉन्च किया है, इस पोर्टल का उपयोग परियोजनाओं की निगरानी करने हेतु प्रधानमंत्री के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

गति पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- यह पोर्टल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा प्रगति की तर्ज पर बनाया गया है।
- 'गति' पोर्टल को एन.एच.ए.आई. की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है और ठेकेदार और रियायतकर्ता परियोजना से संबंधित किसी भी मुद्दे को मंच पर उठा सकते हैं।
- 'गति' पर उठाए गए मुद्दों की एन.एच.ए.आई. अधिकारियों की एक टीम द्वारा दैनिक निगरानी की जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी।
- इससे राजमार्ग निर्माण में पारदर्शिता आएगी और निर्णय लेने में तेजी आएगी।

प्रगति प्लेटफॉर्म के संदर्भ में जानकारी

- प्रगति (पूर्व-सक्रिय शासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन) एक बहुउद्देश्यीय और बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है।

- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना और इसके साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।

राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए संचार संसाधन इकाई का गठन किया गया है।

- हाल ही में, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.पी.आर.) ने "संचार संसाधन इकाई" स्थापित करने के लिए यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष) के साथ साझेदारी की है।

संचार संसाधन इकाई के संदर्भ में जानकारी

- यह राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों को रणनीतिक संचार सहायता प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- यह इकाई राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पोशन अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य को सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एस.बी.सी.सी.) प्रदान करती है।
- यह वर्तमान में तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में काम कर रही है।
- इसका उद्देश्य परामर्श, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों की रणनीतिक संचार आवश्यकताओं को पूरा करना है।

एन.आई.आर.डी.पी.आर. के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास संस्थान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
- यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक अग्रणी राष्ट्रीय केंद्र है।
- यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है।

यूनिसेफ के संदर्भ में जानकारी:

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, पूर्व में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष का गठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था।
- इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लद्दाख को 6वां अनुसूची क्षेत्र का दर्जा देने का प्रस्ताव किया है।

- केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6वां अनुसूची क्षेत्र का दर्जा देने का प्रस्ताव किया है।

छठी अनुसूची के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं।
- यह स्वायत्त जिला परिषदों के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है।
- यह एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग क्षेत्रीय परिषद भी प्रदान करता है।
- इन चार राज्यों के राज्यपालों को इन राज्यों के कुछ आदिवासी बहुल जिलों/ क्षेत्रों को स्वायत्त जिला और स्वायत्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है।

स्वायत्त जिला परिषदों के संदर्भ में जानकारी

- ये भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के अनुसार गठित प्रशासनिक निकाय हैं।

नोट:

पांचवीं अनुसूची के संदर्भ में जानकारी



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- यह अनुसूचित क्षेत्रों के साथ-साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।

सागरमाथा संवाद

- नेपाल ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ-साथ कई अन्य सरकारों के प्रमुखों और राज्यों के प्रमुखों को सागरमाथा संवाद के लिए आमंत्रित किया है।
- इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देशों के नेताओं के अतिरिक्त कई वैश्विक हस्तियों द्वारा भाग लिया जाएगा।
- 2020 सागरमाथा संवाद की थीम: **जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य** है।

सागरमाथा संवाद के संदर्भ में जानकारी

- यह नेपाल के काठमांडू में मुख्यालय के साथ एक बहु-हितधारक, स्थायी वैश्विक संवाद मंच है।
- यह नेपाल के विदेश मंत्रालय, विदेशी मामलों के संस्थान और नीति अनुसंधान संस्थान की एक संयुक्त सहयोगी पहल है।
- संवाद का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के सबसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है।

विश्वविद्यालयों में प्रख्यात महिलाओं के नाम पर अध्यक्षों की स्थापना की जाएगी।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान गतिविधियों को करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में 10 अध्यक्षों की स्थापना करेगा।

प्रख्यात महिलाओं के नाम पर विश्वविद्यालयों में अध्यक्षों की स्थापना के संदर्भ में जानकारी

- यह प्रख्यात महिला प्रशासकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और साहित्यकारों के नाम पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में 10 अध्यक्षों की स्थापना की परिकल्पना करता है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनके चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करना है।
- प्रति वर्ष प्रत्येक अध्यक्ष का खर्च 50 लाख और 5 वर्षों की अवधि के लिए स्थापित किया जाएगा।
- अध्यक्षों के शैक्षणिक कार्य अनुसंधान में संलग्न होंगे और इसके बदले में, अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति में योगदान करेंगे।
- यह सार्वजनिक नीति निर्धारण में विश्वविद्यालय/ शिक्षाविदों की भूमिका को मजबूत करने और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए अल्पकालिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को डिजाइन और निष्पादित करने में भी मदद करता है।
- यू.जी.सी. द्वारा प्रस्तावित और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अध्यक्ष हैं:
 - प्रशासन- देवी अहिल्याबाई होल्कर (अध्यक्ष का प्रस्तावित नाम)
 - साहित्य- महादेवी वर्मा
 - स्वतंत्रता सेनानी (उत्तर पूर्व)- रानी गाइंदिन्ल्यू
 - दवा एवं स्वास्थ्य- आनंदीबाई गोपालराव जोशी
 - प्रदर्शन कला- मदुरई शनमुख वादिवु सुबुलक्ष्मी
 - वन/ वन्यजीव संरक्षण- अमृता देवी (बेनीवाल)
 - गणित- लीलावती
 - विज्ञान- कमला सोहोनी
 - कविता और रहस्यवाद- लाल देव
 - शैक्षिक सुधार- हंसा मेहता

25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है।

- दसवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मनाया गया है।
- इस वर्ष की थीम "मजबूत लोकतंत्र हेतु चुनावी साक्षरता" थी।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में जानकारी

- यह दिवस वर्ष 2011 से भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे 25 जनवरी, 1950 को स्थापित किया गया था।
- राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद चुनाव आयोग द्वारा आयोजित दसवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।

नोट:

- लद्दाख में, दसवें मतदाता दिवस का सबसे बड़ा उत्सव कारगिल के द्रास में आयोजित किया गया था, जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है, जो दत्तक परिवार की उपयुक्तता का आकलन करने और एक नए घर के लिए एक बच्चे को तैयार करने में मदद करता है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के संदर्भ में जानकारी

- यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय है, जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है।
- यह देश में और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (2003 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण पर 1993 हेग सम्मेलन के प्रावधानों के अनुसार) को विनियमित करता है।
- बाल देखभाल संस्थानों (सी.सी.आई.) का अनिवार्य पंजीकरण और सी.ए.आर.ए. से लिंक करने को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में प्रदान किया गया है।

दया याचिका

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दया याचिका को अस्वीकार करने के राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा का दायरा "बहुत सीमित" है।

भारतीय कानून के अंतर्गत प्रावधान

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 कुछ मामलों में सजा को माफ करने, निलंबित करने, छूट देने या परिवर्तित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है।
- इस अनुच्छेद के अंतर्गत, केवल राष्ट्रपति के पास मंत्रियों की परिषद की सहायता और सलाह पर आपराधिक मामलों में दया याचिका देने का एकमात्र अधिकार है।
- उन सभी मामलों में जहां सजा या निर्णय, कोर्ट-मार्शल द्वारा होती है
- उन सभी मामलों में जहां किसी भी कानून के खिलाफ अपराध के लिए सजा या निर्णय एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है
- उन सभी मामलों में जहां सजा, मौत की सजा है।
- राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, न्यायपालिका से स्वतंत्र होती है जो कार्यकारी शक्ति है।
- राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य दो हैं:
- कानून के संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटि को ठीक करने के लिए दरवाजा खुला रखने हेतु
- उस सजा से राहत देने के लिए जिसे राष्ट्रपति अनुचित मानते हैं।

राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्षमा:** राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए पूरी तरह से दोषमुक्त/ बरी कर सकते हैं और उसे एक सामान्य नागरिक की तरह मुक्त कर सकते हैं।
- **परिवर्तित करना:** अधिक कठोर सजा को कम कठोर सजा में परिवर्तित करने हेतु है, उदाहरण के लिए कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित करना।

- **छूट:** सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा को कम करना है। उदाहरण के लिए: 20 वर्ष सश्रम कारावास को 10 वर्ष सश्रम कारावास करना।
- **दंडविराम:** एक सजा के निष्पादन में देरी की अनुमति दी जाती है, सामान्यतः दोषी व्यक्ति को उसकी निर्दोषता साबित करने के लिए मौत की सजा के मामले में देरी की अनुमति दी जाती है।
- **स्थगितकरण:** गर्भावस्था, बुढ़ापे आदि जैसे विशिष्ट आधारों को देखते हुए सजा को कम करना है।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को किसी भी कानून के खिलाफ अपराध के लिए सजा या निर्णय एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, में किसी व्यक्ति की सजा माफ करने, निलंबित करने या छूट देने या परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

नोट:

- कोर्ट-मार्शल, सशस्त्र बलों के एक सदस्य के सैन्य अदालत में एक मुकदमे है, जिन पर सैन्य कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया है।

फिलिस्तीनियों ने ओस्लो शांति समझौते को छोड़ने की धमकी दी है।

- हाल ही में, फिलिस्तीनी अधिकारियों ने ओस्लो समझौते के प्रमुख प्रावधानों से हटने की धमकी दी है।

ओस्लो समझौते के संदर्भ में जानकारी

- ओस्लो समझौता, मध्य पूर्व में शांति की खोज में एक ऐतिहासिक क्षण था।
- यह वास्तविकता में इजराइल सरकार और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में हस्ताक्षरित दो अलग-अलग समझौतों का एक सेट है, इस क्षेत्र में एक फिलिस्तीनी राज्य बनाने के लिए 1964 में स्थापित एक उग्रवादी संगठन है।
- 1993 में ओस्लो समझौते की वाशिंगटन, डी.सी., (ओस्लो I) में और 1995 में ताबा, मिस्र में (ओस्लो II) में पुष्टि की गई थी।
- जब कि वार्ता के दौरान बनाए गए प्रावधान आज भी प्रभावी हैं, दोनों पक्षों के बीच संबंध निरंतर रूप से संघर्ष द्वारा बिगड़ रहे हैं।
- हालांकि ओस्लो समझौते में यह उल्लेखनीय था कि पी.एल.ओ. औपचारिक रूप से इजरायल राज्य को मान्यता देने के लिए सहमत हो गया था और इसके बदले में, इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा और वेस्ट बैंक (तथाकथित अधिकृत क्षेत्रों) में सीमित स्व-शासन के कुछ प्रकार की अनुमति प्रदान की थी।
- हालांकि, ओस्लो समझौते की अभी तक कोई स्थायी शांति नहीं हुई है और उनका समग्र प्रभाव बहस के लिए बना हुआ है।

आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधान परिषद को खत्म करने की अनुमति प्रदान की है।

- आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने विधान परिषद के उन्मूलन के लिए डेक को मंजूरी प्रदान की है।

विधान परिषद के संदर्भ में जानकारी

- भारत में एक द्विसदनीय प्रणाली अर्थात संसद के दो सदन हैं।
- राज्य स्तर पर, लोकसभा का समतुल्य विधानसभा या विधानसभा होती है और राज्यसभा के समतुल्य विधान परिषद या विधान परिषद होती है।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान, राज्यों में विधायी परिषदों के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान प्रदान करता है।
- इसके अनुसार, संसद एक विधान परिषद (जहां यह पहले से मौजूद है) का उन्मूलन कर सकती है या बना सकती है (जहां इसका अस्तित्व नहीं है), यदि संबंधित राज्य की विधान सभा उस प्रभाव का प्रस्ताव पारित करती है।

- इस प्रकार के एक विशिष्ट प्रस्ताव को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए अर्थात विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत और विधानसभा के वर्तमान और मतदान के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

विधान परिषद का निर्माण

- संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, संसद कानून द्वारा किसी राज्य में दूसरा चैंबर बना सकती है या समाप्त कर सकती है यदि उस राज्य की विधान सभा विशेष बहुमत से उस आशय का प्रस्ताव पारित करती है।

विधान परिषद की शक्ति

- अनुच्छेद 171 खंड (1) के अनुसार, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी मामले में 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए।

विधान परिषद का चुनाव

- एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- राज्य में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा एक-तिहाई का चुनाव किया जाता है।
- 1/12 का चुनाव शिक्षक मतदाता द्वारा किया जाता है।
- पंजीकृत स्नातकों द्वारा 1/12 का चुनाव किया जाता है।
- शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन लोगों में से नामित किया जाता है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में खुद को प्रतिष्ठित किया है।

पृष्ठभूमि

- आंध्र प्रदेश को 1957 में विधान परिषद मिली थी और 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया था।
- आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के बाद 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया था।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एम.टी.पी.) अधिनियम, 1971

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एम.टी.पी.) अधिनियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है, जो गर्भावस्था की समाप्ति की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर देगा।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम, 1971 के संदर्भ में जानकारी

- यह केवल 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था की समाप्ति के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
- यदि एक अवांछित गर्भावस्था 20 सप्ताह से आगे बढ़ गई है तो महिलाओं को समाप्ति के लिए अनुमति लेने हेतु एक मेडिकल बोर्ड और अदालतों से संपर्क करना होगा।
- एम.टी.पी. अधिनियम, 1971 की धारा 3 (2) के अनुसार, एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।
- जहां गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए या जहां गर्भावस्था की अवधि बारह सप्ताह से अधिक हो सकती है लेकिन बीस सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान:

- गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भ समापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक (दो या अधिक के बजाय) की राय की आवश्यकता होती है।
- 20 से 24 सप्ताह की गर्भावस्था की समाप्ति के लिए दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय की आवश्यकता होती है।
- निम्न के लिए गर्भधारण की अधिकतम सीमा (गर्भपात के लिए) को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करें

- बलात्कार पीड़ितों
- अनाचार का शिकार (परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों के बीच मानवीय यौन गतिविधि)
- अन्य कमजोर महिलाएं, जिनमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं।

सरकार, वंचित क्षेत्रों के लिए 30% पूर्वोत्तर परिषद के धन का आवंटन करती है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंचित क्षेत्रों, समाज के उपेक्षित वर्गों और उभरते प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के केंद्रित विकास लिए नई परियोजनाओं हेतु एन.ई.सी. के आवंटन के 30% के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है।
- शेष आवंटन को मौजूदा दो घटकों (राज्य घटक-60% और केंद्रीय घटक-40%) में द्विभाजित किया जाएगा।
- मौजूदा "एन.ई.सी. की योजनाएं" के अंतर्गत परियोजनाएं, उत्तर पूर्वी राज्यों के पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों में सीमांत और कमजोर लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक लाभ अर्जित करेंगी।
- यह तेजी से निर्णय लेने और परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व करेगा।

उत्तर पूर्वी परिषद

- उत्तर पूर्वी परिषद (एन.ई.सी.), एन.ई.सी. अधिनियम 1971 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है।
- पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम परिषद के सदस्य हैं, जिनके संबंधित मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।
- सिक्किम को वर्ष 2002 में परिषद में जोड़ा गया था।
- परिषद का मुख्यालय शिलांग में स्थित है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

भुवन पंचायत V 0 वेब पोर्टल

- केंद्रीय परमाणु एवं अंतरिक्ष मंत्रालय ने बेंगलुरु में भुवन पंचायत V 0 वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

भुवन पंचायत के संदर्भ में जानकारी

- भुवन पंचायत, विकेंद्रीकृत योजना अद्यतन परियोजना के लिए इसरो के अंतरिक्ष-आधारित सूचना सपोर्ट का हिस्सा है।
- इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं का बेहतर नियोजन और निगरानी करना है।
- पहली बार, पूरे देश के लिए 1:10, 00 पैमाने पर एक विषयगत डेटाबेस, योजना के लिए एकीकृत उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के साथ उपलब्ध है।
- पोर्टल का तीसरा संस्करण इसके अतिरिक्त पंचायत सदस्यों के लाभ के लिए डेटाबेस विज़ुअलाइज़ेशन और सेवाएं प्रदान करेगा।
- यह परियोजना, पंचायती राज मंत्रालय की ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया की सहायता के लिए भू-स्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए है।
- इस पोर्टल के लिए लक्षित दर्शक सार्वजनिक, पी.आर.आई. और ग्राम पंचायतों से संबंधित विभिन्न हितधारक हैं।

कर्नाटक अंधविश्वास विरोधी विधेयक

- कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक अमानवीय अनुचित प्रथाएं एवं काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन विधेयक, 2017 को पारित किया है, जिसे लोकप्रिय रूप से अंधविश्वास विरोधी विधेयक के रूप में जाना जाता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- वास्तु, ज्योतिष, प्रदक्षिणा या पवित्र स्थानों की परिक्रमा, यात्रा, धार्मिक स्थानों पर की गई परिक्रमाओं की प्रथा को कानून के दायरे से बाहर रखा गया था।
- निम्नलिखित तर्कहीन प्रथाएं हैं, जिन्हें 2017 के कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है:
 - मासिक धर्म में महिलाओं को पूजा घरों और अपने घरों में प्रवेश करने से रोकना

 **Gradeup Green Card**
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams [CHECK HERE](#)

- आग में चलने के लिए हिस्सा लेने हेतु लोगों को मजबूर करना
- लोगों को दुरात्मा घोषित करके उनकी पिटाई करना
- मड़े स्नाना, दलितों को बचे हुए भोजन पर रोलओवर करने की प्रथा को अब स्वैच्छिक रूप से संशोधित किया गया है और इसमें बचे हुए भोजन को शामिल नहीं किया गया है।
- इस कानून के अंतर्गत कुल 16 प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सज़ा

- यह कानून "कम से कम एक वर्ष के लिए कारावास को निर्धारित करता है, जिसे सात वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है और कम से कम 5000 रूपए के जुर्माने" का प्रावधान किया गया है।
- इसके उल्लंघन के लिए दंड के रूप में जुर्माना पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

दिसंबर माह की नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग

- नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया), भारत सरकार के एक नीति प्रबुद्ध मंडल, ने दिसंबर 2019 के लिए देश के आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है।

विशेषताएं

- उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले ने सरकार के प्रबुद्ध मंडल नीति आयोग द्वारा दिसंबर में जारी की गई आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- बेलनगिर (ओडिशा) और वाई.एस.आर. (आंध्र प्रदेश) को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है।
- साहिबगंज (झारखंड) को चौथे स्थान पर और हैलाकंदी (असम) को पांचवें स्थान पर रखा गया है।

आकांक्षी जिला रैंकिंग के संदर्भ में जानकारी

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी, 2018 में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य उन जिलों को रूपांतरित करना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दर्शाई है और विकासशील के रूप में उभरे हैं।
- आकांक्षी जिलों की रैंकिंग प्रत्येक महीने की जाती है।
- डेल्टा रैंकिंग ने दिसंबर, 2019 में छह विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति को ध्यान में रखा है।
- ये विकासात्मक क्षेत्र निम्न हैं:
 - स्वास्थ्य और पोषण
 - शिक्षा
 - कृषि और जल संसाधन
 - वित्तीय समावेशन
 - कौशल विकास
 - बुनियादी ढाँचा

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

राष्ट्रीय ढांचा पाइपलाइन

- हाल ही में, वित्त मंत्री ने 2019-2025 के लिए राष्ट्रीय ढांचा पाइपलाइन-एन.आई.पी. पर टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की है।
- वित्त मंत्री ने 102 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी अनावरण किया है जिन्हें अगले पांच वर्षों में सरकार के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में खर्च के हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा।
- पहचानी गई परियोजनाएं बिजली, रेलवे, शहरी, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में हैं।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय ढांचा पाइपलाइन (एन.आई.पी.) को तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

राष्ट्रीय ढांचा पाइपलाइन के संदर्भ में जानकारी

- यह ढांचा परियोजनाओं पर एक अग्रगामी दृष्टिकोण को सक्षम करेगा जो रोजगार पैदा करेगा, जीवनयापन में आसानी करेगा और सभी के लिए बुनियादी ढांचे की समान पहुँच प्रदान करेगा, जिससे विकास और अधिक समावेशी होगा।
- इसमें आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरान, भारत में बुनियादी ढांचे में अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70% ऊर्जा (24%), सड़क (19%), शहरी (16%) और रेलवे (13%) जैसे क्षेत्रों में व्यय होता है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2024-25 तक केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 102 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करने की योजना तैयार की है जिसमें केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के मध्य पूंजीगत व्यय को 39:39:22 में साझा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

- हाल ही में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना है।
- यह राज्य के मजदूरों के लिए एक वित्तीय योजना है, जिसके अंतर्गत काम पर एक पंजीकृत मजदूर की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसका उद्देश्य राज्य के मजदूरों की मदद करना है।
- काम पर दुर्घटना के कारण पंजीकृत मजदूर को विकलांगता होने के मामले में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

बी.एल.सी.एस. (ए और बी प्रकार): कार्गो क्षमता को बढ़ाने के लिए नई वैगन

- समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड (DFCCIL) ने एक नए वैगन का परीक्षण शुरू कर दिया है, जो कार्गो वहन क्षमता को चार गुना बढ़ाने में मदद करेगा।
- यह इसके द्वारा किया जाता है:
- ट्रेन की लंबाई में वृद्धि
- डबल-स्टैक कंटेनरों का उपयोग
- अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता

बी.एल.सी.एस. के संदर्भ में जानकारी

- नया वैगन- जिसे बी.एल.सी.एस. (ए. & बी.) कहा जाता है- वर्तमान में एक प्रोटोटाइप है।
- इस तरह के कुल तीन वैगनों का निर्माण किया गया है।
- वैगन का उपयोग माल ढुलाई के लिए किया जाता है जिसका अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) द्वारा परीक्षण किया गया है और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गोल्डन रॉक रेलवे कार्यशाला में निर्मित किया गया है।

गलियारे के संदर्भ में जानकारी

- इस गलियारे को देश की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारों की 3,360 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
- 1,504 किलोमीटर का पश्चिमी फ्रेट गलियारा दादरी, उत्तर प्रदेश में शुरू होता है और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरता हुआ भारत के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के पास तक जाता है।
- 1,856 किलोमीटर का पूर्वी गलियारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होता हुआ पंजाब में लुधियाना से कोलकाता के पास दनकुनी तक जाएगा।

शिवालिक, एस.एफ.बी. में परिवर्तित होने वाला पहला शहरी सहकारी बैंक है।

- शिवालिक वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पहला शहरी सहकारी बैंक (यू.सी.बी.) बन गया है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा एक स्माल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक रूप से अनुमति प्रदान की गई है।
- 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन 18 महीने के लिए मान्य होगा, इस समयसीमा के भीतर शिवालिक वाणिज्यिक बैंक को एस.एफ.बी. के मानदंडों का पालन करना होगा।

स्म'ल फाइनेंस बैंक के संदर्भ में जानकारी

- वे आला बैंक हैं जो जनसंख्या के एक निश्चित जनसांख्यिकीय खंड की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी सेवा करते हैं।
- स्माल फाइनेंस बैंकों की स्थापना का उद्देश्य निम्न के द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना होगा:
- बचत वाहनों के प्रावधान
- लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की आपूर्ति
- लघु और सीमांत किसान
- सूक्ष्म और लघु उद्योग
- वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।

एस.एफ.बी. की स्थापना हेतु मानदंड

- वित्त, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.), माइक्रोफाइनेंस कंपनियों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों में 10 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति/पेशेवर एस.एफ.बी. स्थापित करने के लिए पात्र हैं।
- स्माल फाइनेंस बैंकों के लिए न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रु होगी।
- ऐसे स्माल फाइनेंस बैंकों की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान कम से कम 40 प्रतिशत होगा और बैंक का कारोबार शुरू होने की तारीख से 12 वर्षों के भीतर धीरे-धीरे 26 प्रतिशत तक नीचे आ जाएगा।
- स्माल फाइनेंस बैंक में विदेशी शेयरधारिता, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) नीति के अनुसार समय-समय पर संशोधित की जाएगी।
- स्माल फाइनेंस बैंकों को अपने समायोजित कुल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) के 75 प्रतिशत का विस्तार रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र क्षेत्रों में करना होगा।
- एस.एफ.बी. को आर.बी.आई. के मानदंडों के अनुसार कैश रिज़र्व अनुपात (सी.आर.आर.) और वैधानिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर.) को बनाए रखना है।

राष्ट्रीय आय 2019-20 का पहला अग्रिम अनुमान

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) ने नियत (2011-12) और वर्तमान कीमतों दोनों पर राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए हैं।
- यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के व्यय घटकों के संगत अनुमानों के साथ है।

- वित्त वर्ष 2020 के लिए पहले अग्रिम अनुमान ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5 प्रतिशत पर रखी है।
- अग्रिम अनुमान के संकलन हेतु दृष्टिकोण, बेंचमार्क-संकेतक विधि पर आधारित है।

सकल घरेलू उत्पाद:

- 2018-19 में 6.8 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में 2019-20 के दौरान वास्तविक जी.डी.पी. की वृद्धि दर 5.0 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.):

- 2019-20 में वास्तविक जी.वी.ए. की अनुमानित वृद्धि 4.9 प्रतिशत है जब कि 2018-19 में 6.6 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय आय:

- विकास दर के संदर्भ में, राष्ट्रीय आय ने पिछले वर्ष की वृद्धि दर 11.3 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है।

2019-20 के दौरान प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय

- 2018-19 के दौरान 10 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 1, 26,406 की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ यह 1,35,050 अनुमानित की गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- महाराष्ट्र, देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) के वेब पोर्टल के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड को समेकित रूप से एकीकृत किया है।
- यह एकीकरण 2019-20 रबी सीजन के दौरान किया गया है, जिससे किसानों नामांकन केंद्रों पर अपनी भूमि का विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत दारों के भुगतान के मामले में भी महाराष्ट्र देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसे 2016 में लॉन्च किया गया था जो मौजूदा दो योजनाओं- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ-साथ संशोधित एन.ए.आई.एस. को प्रतिस्थापित करेगी।
- पी.एम.एफ.बी.वाई. का लक्ष्य फसल की विफलता हेतु एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलेगी।
- इस योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

योजना की विशेषताएं:

- यह योजना किसानों द्वारा खरीफ फसलों के लिए 2% का एक समान प्रीमियम और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम का भुगतान करने की परिकल्पना करती है।
- वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम 5% होगा।
- यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने बैंकों से संस्थागत ऋण लिया है।
- यह उन किसानों के लिए वैकल्पिक है जिन्होंने संस्थागत ऋण नहीं लिया है।

कवर किए गए किसान

- मौसम के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान जिनकी फसल में बीमा योग्य रुचि है, वे इस योजना के पात्र हैं।

अनिवार्य कवरेज

- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती पर बीमा योग्य ब्याज के अधिकार के अधीन योजना के अंतर्गत नामांकन, किसानों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अनिवार्य होगा:
- अधिसूचित क्षेत्र के किसान जिनके पास फसली ऋण खाता/ के.सी.सी. खाता (लोनी किसान के रूप में कहा जाता है) जिनके पास फसल के मौसम के दौरान अधिसूचित फसल के लिए ऋण सीमा स्वीकृत/ नवीनीकृत है।

स्वैच्छिक कवरेज

- फसल के.सी.सी./ फसल ऋण खाताधारकों सहित उपर्युक्त सभी किसानों द्वारा स्वैच्छिक कवरेज प्राप्त की जा सकती है, जिनकी क्रेडिट सीमा का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

एन.एस.ई. शाखा ने वित्तीय क्षेत्र की सेवा हेतु ए.आई.- पावर्ड नॉलेज हब लॉन्च किया है।

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री ने 'एन.एस.ई. नॉलेज हब' का उद्घाटन किया है।

एन.एस.ई. नॉलेज हब के संदर्भ में जानकारी

- एन.एस.ई. नॉलेज हब को एन.एस.ई. अकादमी द्वारा विकसित किया गया है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- यह प्लेटफार्म अपने कर्मचारियों के कौशल संवर्धन में बैंकिंग, वित्तीय, प्रतिभूतियों और बीमा (बी.एफ.एस.आई.) क्षेत्र की सहायता करना चाहता है।
- यह वित्तीय सेवा उद्योग के लिए भविष्य में तैयार प्रतिभाओं को तैयार करने में अकादमिक संस्थानों की भी मदद करता है।
- भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फिन-टेक हब के रूप में मान्यता प्राप्त है, आज इस पहल को हमें प्रथम स्थान पर ले जाना चाहिए।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, जो मुंबई में स्थित है।
- एन.एस.ई. की स्थापना 1992 में देश में पहले डिमुच्युलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में की गई थी।

तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने शहरी सहकारी बैंकों (यू.सी.बी.) पर वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई (पी.सी.ए.) ढांचे के अनुरूप है, जो वाणिज्यिक बैंकों पर लगाया गया है।
- इस संशोधित पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एस.ए.एफ.) के अंतर्गत, यू.सी.बी. को तीन मापदंडों के बिगड़ने के लिए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा:
 - जब कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ, कुल अग्रिमों के 6% से अधिक हो जाती हैं।
 - जब वे लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए नुकसान उठाते हैं या अपनी बैलेंस शीट पर नुकसान संचित करते हैं।
 - यदि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% से नीचे आ जाता है।

ऐसी जोखिम सीमाओं के उल्लंघन हेतु

- यू.सी.बी. को कुल-एन.पी.ए. को 6% से कम करने जैसी स्थिति को ठीक करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
- यू.सी.बी. के बोर्ड को तिमाही/ मासिक आधार पर कार्य योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा करने और आर.बी.आई. को समीक्षा के बाद की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
- आर.बी.आई., किसी अन्य बैंक के साथ यू.सी.बी. का विलय करने या सी.ए.आर. के 9% से कम होने पर स्वयं को क्रेडिट सोसाइटी में परिवर्तित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की तलाश कर सकता है।
- यह किसी भी जोखिम सीमा का उल्लंघन होने पर पूर्व अनुमोदन के बिना लाभांश या दान की घोषणा या भुगतान पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- कुछ अन्य प्रतिबंधों में एक निश्चित सीमा से अधिक पूंजीगत व्यय और बैलेंस शीट के विस्तार पर होने वाले अग्रिम जिन पर जोखिम 100% से अधिक हो तो एसे नए ऋणों और अग्रिमों को प्रतिबंधित करना शामिल है।

तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- **तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई** या पी.सी.ए. एक ढांचा है जिसके अंतर्गत कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को आर.बी.आई. द्वारा निगरानी में रखा जाता है।
- पी.सी.ए. ढांचा बैंकों को जोखिम भरा मान लेता है यदि वे तीन मानकों पर मानदंडों से नीचे खिसक जाते हैं:
 - पूंजी अनुपात
 - संपत्ति गुणवत्ता
 - लाभप्रदता
- इसके तीन जोखिम सीमा स्तर (1 सबसे कम और 3 उच्चतम) हैं, जहां बैंक को इन अनुपातों पर परखा जाता है।
- 25 प्रतिशत से कम लेकिन 7.75 प्रतिशत से अधिक पूंजी और कम जोखिम वाले परिसंपत्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.) वाले बैंक को सीमा 1 के अंतर्गत आते हैं।
- 25 प्रतिशत से अधिक लेकिन 7.75 प्रतिशत से कम सी.आर.ए.आर. वाले बैंक सीमा 2 में आते हैं।
- यदि बैंक की कॉमन इक्विटी टियर 1 (सी.आर.ए.आर. के अंतर्गत अरक्षित न्यूनतम पूंजी) 625 प्रतिशत से कम हो जाती है तो इसे सीमा स्तर 3 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- जिन बैंकों का कुल एन.पी.ए. 6 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 9 प्रतिशत से कम है वे सीमा 1 और जिन बैंकों का एन.पी.ए. 12 प्रतिशत या अधिक है वे सीमा स्तर 3 के अंतर्गत आते हैं।
- लाभप्रदता पर, परिसंपत्तियों पर लगातार दो, तीन और चार वर्षों से ऋणात्मक रिटर्न वाले बैंक क्रमशः सीमा 1, सीमा 2 और सीमा 3 के अंतर्गत आते हैं।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- पी.सी.ए. का उद्देश्य यदि कोई बैंक परेशानी में पड़ रहा है तो विनियामक के साथ-साथ निवेशकों और जमाकर्ताओं को सचेत करने में मदद करना है।
- संकट अनुपात प्राप्त करने से पहले समस्याओं को रोकने का विचार है।
- बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए अनिवार्य रूप से पी.सी.ए., आर.बी.आई. की बैंकों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करने और सुधारात्मक उपाय करने में मदद करता है।

एस.बी.आई. ने घर खरीदारों के लिए "गारंटी" योजना शुरू की है।

- देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने "खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर वित्त" (आर.बी.बी.जी.) योजना शुरू करने की घोषणा की है।
- इसका उद्देश्य आवासीय बिक्री को बढ़ावा देना और घर खरीददारों के आत्मविश्वास में सुधार करना है।
- इस योजना के अंतर्गत, एस.बी.आई. उन ग्राहकों को चुनिंदा आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की गारंटी जारी करेगा, जिन्होंने इससे होम लोन लिया है। यह योजना प्रारंभ में 10 शहरों में 2.50 करोड़ रुपये तक की किरायायती आवास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। आर.आर.बी.जी. के अंतर्गत, बैंक द्वारा तब तक गारंटी दी जाएगी जब तक कि परियोजना को व्यवसाय प्रमाणपत्र (ओ.सी.) नहीं मिल जाता है।
- गारंटी, आर.ई.आर.ए. पंजीकृत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी और आर.ई.आर.ए. की समय सीमा के बाद एक परियोजना को निरस्त माना जाएगा।

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के संदर्भ में जानकारी

- रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर-खरीदारों की रक्षा करने के साथ-साथ रियल एस्टेट उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- इस अधिनियम ने रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन के लिए प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (आर.ई.आर.ए.) की स्थापना की है और शीघ्र विवाद समाधान के लिए एक निर्णयन निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

पूर्वोदय: एकीकृत इस्पात केंद्र के माध्यम से पूर्वी भारत का त्वरित विकास

- सी.आई.आई. और जे.पी.सी. के साथ भागीदारी में इस्पात मंत्रालय, पूर्वी राज्यों के केंद्रित विकास के लिए पूर्वोदय को लांच करने जा रहा है, जो एकीकृत इस्पात केंद्र के माध्यम से पूर्वी भारत का त्वरित विकास है।

पृष्ठभूमि

- भारत का पूर्वी क्षेत्र संसाधनों के संदर्भ में बेहद समृद्ध होने के बावजूद विकास के मामले में अन्य राज्यों से पीछे है।
- भारत के पूर्वी राज्यों (ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश) में सामूहिक रूप से देश का 80% लौह अयस्क, ~ 100% कोकिंग कोयल और क्रोमाइट, बॉक्साइट और डोलोमाइट भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- भारत की प्रमुख बंदरगाह क्षमता के 30 प्रतिशत के साथ पारादीप, हल्दिया, विजाग, कोलकाता आदि जैसे प्रमुख बंदरगाह यहां उपस्थित हैं, 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ-साथ मजबूत सड़क, देश के अधिकांश भागों तक रेल कनेक्टिविटी भी मौजूद है।

एकीकृत इस्पात केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- इस पहल का उद्देश्य एकीकृत इस्पात केंद्र के माध्यम से पूर्वी राज्यों को विकसित करना है।
- प्रस्तावित एकीकृत इस्पात केंद्र में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश राज्य शामिल होंगे।
- यह केंद्र लागत और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में तेजी से क्षमता बढ़ाने और इस्पात उत्पादकों की समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा।
- एकीकृत इस्पात केंद्र तीन प्रमुख तत्वों पर केंद्रित होगा:
- ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र की स्थापना को आसान बनाने के माध्यम से क्षमता में वृद्धि पर
- एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ-साथ मांग केंद्रों के निकट इस्पात समूहों के विकास पर
- रसद और उपयोगिता ढांचे में परिवर्तन करना जो पूर्व में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019

- केंद्र सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया है।

सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- इस सूचकांक को ऊर्जा दक्षता अर्थव्यवस्था गठबंधन (ए.ई.ई.ई.) के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.) द्वारा विकसित किया गया है।
- सूचकांक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 97 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर ऊर्जा दक्षता पहल की प्रगति की निगरानी करता है।
- इस प्रकार का पहला सूचकांक अगस्त, 2018 में शुरू किया गया था।
- सूचकांक इस वर्ष पांच अलग-अलग क्षेत्रों- इमारतों, उद्योग, नगर पालिकाओं, परिवहन, कृषि और डिस्कॉम में ऊर्जा दक्षता पहल, कार्यक्रमों और परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम-आधारित संकेतक शामिल करता है।
- इस वर्ष के लिए नए संकेतकों में ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड (ई.सी.बी.सी.) 2017 को अपनाना, एम.एस.एम.ई. समूहों में ऊर्जा दक्षता आदि शामिल हैं।
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की दिशा में उनके प्रयासों और उपलब्धियों के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत करता है।
 - फ्रंट रनर
 - अचीवर
 - कंटेंडर
 - एस्पिरेंट

सूचकांक की विशेषताएं

- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य- हरियाणा, केरल और कर्नाटक- 'अचीवर' श्रेणी में हैं।
- इसमें कोई 'फ्रंट रनर' राज्य नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत, भारत में पांच वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु दर, लड़कों की मृत्युदर से अधिक है।

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) बाल मृत्यु दर अंतर-एजेंसी समूह ने "बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान" नामक एक रिपोर्ट जारी की है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से है, जहां वर्ष 2018 में, पांच वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु दर, लड़कों की मृत्युदर से अधिक है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

वैश्विक परिदृश्य

- वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2018 में बच्चों और युवा किशोरों में 85% मौतें जीवन के प्रारंभिक पांच वर्षों में हुई हैं।
- वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2018 में कुछ ही देशों में बाल मृत्यु दर में लैंगिक असमानता दिखाई दी है और दुनिया भर में, लड़कियों की तुलना में लड़कों के पांच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने की अधिक संभावना रहती है।
- कुछ देशों में, लड़कियों के 5 वर्ष की आयु से पहले मरने का जोखिम वैश्विक प्रारूप के आधार पर अनुमानित जोखिम की तुलना में काफी अधिक है।
- ये देश मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया में स्थित हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में पांच वर्ष से कम आयु में हाने वाली सभी मृत्युओं में आधे मामले पांच देशों: भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इथियोपिया के हैं। भारत और नाइजीरिया अकेले लगभग एक तिहाई हेतु जिम्मेदार हैं।

भारतीय परिदृश्य

- भारत की नमूना पंजीकरण प्रणाली 2017 (एस.आर.एस.) के अनुसार, नवजात मृत्यु दर के अधिकतम बोझ वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश हैं, जहां प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर क्रमशः 32, 33 और 30 नवजात मृत्यु होती हैं।
- भारत की नवजात मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 23 है।
- इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड, बिहार और उत्तराखंड ने अंडर-5 मृत्यु दर में सबसे बड़ा लिंग अंतर दर्शाया है।
- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार, भारत में सबसे अधिक संख्या में अनुमानित नवजात मृत्यु दर के संदर्भ उत्तर प्रदेश है, राज्य में प्रत्येक वर्ष होने वाले अधिक जन्मों के कारण दोनों में सबसे अधिक है, यह उच्च मृत्यु दर के कारण है।

नोटः

- बाल मृत्यु दर का बोझ, मृत्यु दर (मरने वाले बच्चों के अनुपात) और किसी भी दिए गए राज्य की अनुमानित जनसंख्या (वार्षिक जन्मों की कुल संख्या) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सुफल बांग्ला योजना

- हाल ही में, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुफल बांग्ला योजना को लागू किया है, जो उपभोक्ताओं को खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़त से संरक्षण प्रदान करेगी।

सुफल बांग्ला योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना 2014 में शुरू की गई थी, जिसमें शहर भर में उचित मूल्य के स्टॉल और काउंटर शामिल हैं, जिससे लोग सस्ती कीमतों पर सब्जियां खरीद सकते हैं।
- यह योजना सफल (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नई दिल्ली) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की वित्तीय सहायता से चल रही है, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी पश्चिमबंगा एग्री मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।

योजना के मूल उद्देश्य हैं:

- किसानों की प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में मदद करना और उपभोक्ता की कीमत में तर्कसंगत हिस्सेदारी होना
- कम खुदरा मूल्य पर गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करना और उपभोक्ता की कीमत में तर्कसंगत हिस्सेदारी होना
- फल और सब्जी उत्पादक के खुदरा बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाना

सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग जरूर की जानी चाहिए।

- हाल ही में, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने घोषणा की है कि 15 जनवरी, 2021 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किसी भी जौहरी को बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषण या कलाकृतियां बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सोने की हॉलमार्किंग के संदर्भ में जानकारी

- यह एक शुद्धता प्रमाणन है जो कम कैरेट से जनता को बचाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सोने के गहने खरीदते समय उपभोक्ताओं के साथ धोखा न हो सके।
- उपभोक्ताओं को हॉलमार्क वाले सोने के गहनों पर चार अंक देखने होंगे:
 - बी.आई.एस. मार्क
 - कैरेट में शुद्धता
 - परख केंद्र का नाम
 - ज्वैलर्स का पहचान चिह्न

नए नियम के अनुसार

- यदि 14, 18 और 22 कैरेट के सोने से बने आभूषण या कलाकृतियां बिना बी.आई.एस. हॉलमार्क के बेचे जाते हैं तो जौहरी पर वस्तु की लागत का पांच गुना जुर्माना या यहां तक कि एक साल तक के कारावास का दंड भी दिया जा सकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.), भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जो भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
- यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया है, जो 23 दिसंबर, 1986 को लागू हुआ था।
- बी.आई.एस. का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री, बी.आई.एस. के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- बी.आई.एस. अधिनियम, 2016 में केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए धारा 14 और धारा 16 के अंतर्गत प्रावधानों को सक्षम किया गया है।

व्याख्या: भारत के राजकोषीय घाटे पर एक नया विवाद

- हाल ही में, आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव, एस.सी. गर्ग ने अपने ब्लॉग में दावा किया है कि पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक राजकोषीय घाटा, आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में पूर्ण प्रतिशत से अधिक है।

विवाद का कारण

- सरकार के कुछ खर्चों को तथाकथित "ऑफ-बजट" आइटम द्वारा वित्त पोषित किया गया था।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- जिसके परिणामस्वरूप, जबकि यह अतिरिक्त व्यय आधिकारिक गणनाओं में नहीं उल्लिखित था, इसका मतलब था कि वास्तविक राजकोषीय घाटा या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लिया गया उधार, बजट में प्रस्तुत किए गए स्तर से अधिक था।
- अपने ब्लॉग में, उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा 4.7% है, जो जुलाई में वित्त मंत्री बजट द्वारा दावा किए गए प्रतिशत की तुलना में पूर्ण प्रतिशत बिंदु से अधिक है।

राजकोषीय घाटे के संदर्भ में जानकारी

- राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों (एन.डी.सी.आर.) के योग और कुल व्यय का अंतर है।
- दूसरे शब्दों में, राजकोषीय घाटा "सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं का परावर्तक" है।

राजकोषीय घाटे का महत्व क्या है?

- अर्थव्यवस्था में, निवेश योग्य बचत का सीमित पूल है।
- इन बचतों का उपयोग बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा निजी व्यवसायों (बड़े और छोटे दोनों) और सरकारों (केंद्र और राज्य) को उधार देने के लिए किया जाता है।
- राजकोषीय घाटे का महत्व यह है कि यदि यह अनुपात बहुत अधिक है तो इसका मतलब है कि निजी उद्यमियों और व्यवसायों को उधार देने के लिए बाजार में कम धनराशि बची है।
- इस धन की कम राशि के परिणामस्वरूप इस तरह के ऋण पर लगाए गए ब्याज की दर अधिक हो जाती है।
- अतः एक उच्च राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि सरकार द्वारा अधिक उधारी ली गई है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में ब्याज दर अधिक हो गई है।

राजकोषीय घाटे का स्वीकार्य स्तर क्या है?

- राजकोषीय घाटे का कोई ऐसा सार्वभौमिक स्तर नहीं है, जिसे अच्छा माना जाता हो।
- सामान्यतः, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, जहां निजी उद्यम कमजोर हो सकते हैं और सरकारें निवेश करने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकती हैं, वहां राजकोषीय घाटा, विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे की तुलना में अधिक हो सकता है।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, सरकारों को भी राजस्व बढ़ाने के लिए पर्याप्त रास्ते न होने पर सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढाँचे दोनों में अग्रिम निवेश करना होगा।

नोट:

- भारत में, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में केंद्र सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. के 3 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता है।
- भारत इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

महिला व्यापार एवं कानून (डब्ल्यू.बी.एल.) 2020 सूचकांक

- हाल ही में, विश्व बैंक ने महिला व्यापार एवं कानून (डब्ल्यू.बी.एल.) 2020 सूचकांक जारी किया है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मापता है।

महिला व्यापार एवं कानून सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- यह सूचकांक उन देशों के औपचारिक कानूनों और विनियमों पर आधारित है जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर असर डालते हैं, जो आठ क्षेत्रों (जैसे: पितृत्व, वेतन की समानता) को शामिल करते हैं।
- यह पुरुषों और महिलाओं के बीच कानूनी अंतर को मापने के लिए 8 संकेतकों का उपयोग करता है क्यों कि वे कामकाजी जीवन के विभिन्न चरणों के माध्यम से संक्रमण करते हैं।
- ये संकेतक हैं:
- गतिशीलता, कार्यस्थल, तनख्वाह, विवाह, पितृत्व, उद्यमशीलता, परिसंपत्तियां और पेंशन

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- केवल आठ अर्थव्यवस्थाओं ने पूर्ण 100 स्कोर किया है, वे बेलजियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, लताविया, लक्जमबर्ग और स्वीडन हैं।
- इन देशों ने सूचकांक के सभी आठ संकेतकों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कानूनी स्थिति सुनिश्चित की है।
- जिन अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है, वे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और दक्षिण सूडान हैं।
- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि "पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र", "यूरोप और मध्य एशिया" या "लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई" में कोई अर्थव्यवस्था शीर्ष सुधारकों में शामिल नहीं थी।

भारत का प्रदर्शन

- भारत ने 74.4 स्कोर किया है और 190 देशों में 117वें स्थान पर है।
- इसने बेनिन और गाम्बिया के साथ 74.4 का स्कोर किया है और रवांडा और लेसोथो जैसे न्यूनतम विकसित देशों के नीचे स्थान प्राप्त किया है।

अपना यूरिया- सोना उगले

- केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) के "अपना यूरिया-सोना उगले" ब्रांड को लॉन्च किया है।

हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के संदर्भ में जानकारी

- यह प्रमुख प्रमोटर्स के रूप में तीन महारत्न कंपनियों अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.), एनटीपीसी. लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) द्वारा अन्य दो साझेदारों एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. के साथ संवर्धित संयुक्त उद्दम कंपनी है।
- यह 2016 में स्थापित किया गया था।
- 2016 में, भारत सरकार ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में स्थित तीन निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार को मंजूरी प्रदान की थी, जो एच.यू.आर.एल. द्वारा शुरू किए गए हैं।

मस्ट रन दर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोई बिजली कटौती नहीं है।

- भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) की समीक्षा करने वाले एक विशेषज्ञ समूह ने दावा किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को "मस्ट रन" दर्जे के रूप में माना जाना चाहिए और इन संयंत्रों से बिजली किसी भी व्यावसायिक कारणों से बंद नहीं की जाएगी।

मस्ट रन दर्जे के संदर्भ में जानकारी

- 'मस्ट रन' दर्जे का अर्थ है कि संबंधित ऊर्जा संयंत्र को सभी शर्तों के अंतर्गत ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करनी है।
- पवन, सौर, पवन-सौर हाइब्रिड और जल संयंत्र (छलकाव का कारण बनने वाले पानी की अधिकता के कारण) को मस्ट रन ऊर्जा संयंत्र के रूप में माना जाएगा और योग्यता क्रम प्रेषण या किसी अन्य वाणिज्यिक विचार के कारण ये कटौती के अधीन नहीं होंगे।

पृष्ठभूमि

- राज्य बिजली वितरण कंपनियों के ग्रिड से अपनी उत्पादन क्षमता को अनप्लग करने और भुगतान में देरी के कारण हाल के महीनों में नवीकरणीय खिलाड़ियों ने चिंताओं का मुद्दा उठाया है।
- अनप्लगिंग, जिसे बैकिंग-डाउन भी कहा जाता है, यह डिस्कोम की खराब वित्तीय स्थिति से उपजा है जिसके कारण से उनमें से कई सौर और पवन ऊर्जा उत्पादकों के साथ पी.पी.ए. प्रतिबद्धताओं पर वापस जाने लगे हैं।
- नवीकरणीय क्षेत्र को पहले 2010 आई.ई.जी.सी. में मस्ट रन का दर्जा दिया गया था, जिसके बावजूद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने ऐसे स्रोतों से बिजली कटौती की है।

नोट:



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- मार्च, 2019 में तमिलनाडु विद्युत विनियमन आयोग (टी.एन.ई.आर.सी.), टैनगेडको, टी.एन.एस.एल.डी.सी., टैनट्रास्को और एम.एन.आर.ई. के खिलाफ एक मामले में यह देखा गया था कि तमिलनाडु डेटा "प्रदान करने" में विफल रहा था, जो सौर परियोजनाओं को बैक डाउन या कटौती निर्देश जारी करने का इसका निर्णय, ग्रिड सुरक्षा या उपकरण या कर्मियों की सुरक्षा के कारण लिया गया था।

वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट

- विश्व आर्थिक मंच ने अपनी पहली वैश्विक सामाजिक गतिशीलता रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को 82 देशों में 72वें स्थान पर रखा गया है।
- डब्ल्यू.ई.एफ. का वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित पांच प्रमुख आयामों में प्रसारित "10 स्तंभों" पर 82 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है:
 - स्वास्थ्य
 - शिक्षा तक पहुंच
 - शिक्षा में गुणवत्ता और समानता
 - आजीवन शिक्षण
 - प्रौद्योगिकी तक पहुंच
 - काम के अवसर
 - उचित मजदूरी वितरण
 - काम करने की स्थिति
 - सामाजिक संरक्षण
 - समावेशी संस्थान

सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में जानकारी

सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा में कई चिंताएँ शामिल हैं जैसे:

- **इंटरजनरेशनल गतिशीलता:** किसी व्यक्ति की अपने जीवनकाल के दौरान सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच स्थानांतरित होने की क्षमता है।
- **इंटरजनरेशनल गतिशीलता:** एक या अधिक पीढ़ियों की अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी को ऊपर या नीचे ले जाने की पारिवारिक समूह की क्षमता है।
- **पूर्ण आय गतिशीलता:** किसी व्यक्ति के लिए वास्तविक रूप से एक ही उम्र में अपने माता-पिता की तुलना में जितना संभव हो या अधिक कमाने की क्षमता है।
- **पूर्ण शैक्षिक गतिशीलता:** किसी व्यक्ति की अपने माता-पिता की तुलना में उच्च शिक्षा के स्तर को प्राप्त करने की क्षमता है।
- **सापेक्षिक आय गतिशीलता:** किसी व्यक्ति की आय का कितना हिस्सा उसके माता-पिता की आय से निर्धारित होता है।
- **सापेक्षिक शैक्षिक गतिशीलता:** किसी व्यक्ति की शैक्षिक प्राप्ति, उनके माता-पिता की शैक्षिक प्राप्ति से कितनी निर्धारित होती है।

भारत की स्थिति

- भारत की समग्र रैंकिंग 82 देशों में से 76 है, जो कि एक खराब रैंकिंग है। इस प्रकार यह किसी भी आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए कि भारत की रैंकिंग व्यक्तिगत मापदंडों में भी कम है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएँ (डब्ल्यू.ई.एस.पी.) 2020

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएँ (डब्ल्यू.ई.एस.पी.) 2020 जारी की है।

डब्ल्यू.ई.एस.पी. रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में जानकारी



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फ्लैगशिप प्रकाशन है, जिसे सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के दृष्टिकोण के माध्यम से देखा जाता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों का एक संयुक्त उत्पाद है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट

- दीर्घकालिक व्यापारिक विवादों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था घटकर 2019 में एक दशक के सबसे कम वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत पर आ गई है।
- रिपोर्ट ने वैश्विक विकास में मामूली तेजी का अनुमान लगाया है, 2020 में 2.5% और 2021 में 2.7% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है।
- लेकिन व्यापारिक तनाव, वित्तीय उथल-पुथल या भूराजनीतिक तनाव के बढ़ने से 2020 में विकास दर 1.8% तक गिर सकती है।
- पूर्वी एशिया, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और वैश्विक विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

भारत की वृद्धि पर रिपोर्ट:

- इस रिपोर्ट ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के लिए अपने जी.डी.पी. विकास अनुमान को 7.6% से कम करके 5.7% कर दिया है।
- हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने 2020-21 में भारत की जी.डी.पी. वृद्धि के 6.6 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है।
- इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में 2021 में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 6.3% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पांच में से एक देश इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय में कमी या गिरावट दर्ज करेगा।
- लेकिन भारत उन कुछ देशों में शामिल होगा, जहां 2020 में प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. विकास दर 4% के स्तर से अधिक हो सकती है।

आई.एम.एफ. ने भारत की अनुमानित विकास दर को घटाकर 4.8% कर दिया है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, वैश्विक विकास दर के 2019 में अनुमानित 2.9% से बढ़कर 2020 में 3.3% और 2021 के लिए 3.4% होने का अनुमान है।

भारत के लिए अनुमान

- आई.एम.एफ. ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर 4.8% कर दिया है।
- यह अक्टूबर, 2019 में किए गए 6.1% के अपने अनुमान को कम करता है।
- वैश्विक विकास में नवीनतम रूझान, आई.एम.एफ. के अक्टूबर, 2019 में विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यू.ई.ओ.) के पूर्वानुमान की तुलना में 2019 और 2020 के लिए 10 आधार अंकों और 2021 के लिए 20 आधार अंकों की कमी के संशोधन को दर्शाते हैं।

वैश्विक विकास के लिए अनुमान:

- आई.एम.एफ. के नए अनुमानों का अनुमान है कि वैश्विक विकास 2019 में 2.9% और 2020 में बढ़कर 3.3% और 2021 में बढ़कर 3.4% हो जाएगा।
- हालांकि, अक्टूबर 2019 के डब्ल्यू.ई.ओ. पूर्वानुमान की तुलना में, 2019 और 2020 के लिए अनुमान प्रत्येक वर्ष के लिए 0.1 प्रतिशत की कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब कि 2021 के लिए अनुमान 0.2 प्रतिशत की कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह ऑटो क्षेत्र में आंशिक सुधार के कारण है और नो-डील ब्रेक्सिट की आशंकाओं को कम करता है।

- नो-डील ब्रेक्सिट का अर्थ है कि यू.के., यूरोपीय संघ (ई.यू.) को छोड़ देगा और भविष्य में यू.के. और यूरोपीय संघ के बीच क्या संबंध होंगे, इस संदर्भ में कोई समझौता नहीं होगा।
- इसके अतिरिक्त, यदि अमेरिका-चीन चरण 1 समझौता (दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार से संबंधित तनाव को कम करने के लिए) स्थायी है तो 2020 के अंत तक वैश्विक जी.डी.पी. पर व्यापारिक तनाव के संचयी नकारात्मक प्रभाव के 0.8% से 0.5% तक कम होने की उम्मीद है।
- यूरो मुद्रा का उपयोग करने वाले 19 देशों में सामूहिक वृद्धि दर के धीरे-धीरे 2019 में 1.2% से 2020 में 1.3% और 2021 में 1.4% होने की उम्मीद है।

पारादीप बंदरगाह

- एक अंतर-मंत्रिस्तरीय पैनल ने पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट की आंतरिक बंदरगाह सुविधाओं को गहन करने और अनुकूलन हेतु शिपिंग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

पारादीप बंदरगाह के संदर्भ में जानकारी

- पारादीप बंदरगाह ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक, गहरे पानी का बंदरगाह है।
- यह महानदी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है।
- इस बंदरगाह का संचालन पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट (पी.पी.टी.) द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के पूर्ण स्वायत्त निगम है।

नोट:

- भारत का 95% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।

संबंधित पार्टी हस्तांतरण

- हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा नियुक्त एक पैनल ने "संबंधित-पार्टी हस्तांतरण" के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने हेतु बदलावों का प्रस्ताव दिया है।

संबंधित पार्टी हस्तांतरण के संदर्भ में जानकारी

- यह एक लेनदेन है, जो दो पक्षों के बीच होता है जो लेनदेन से पहले एक पूर्व-मौजूदा संबंध रखते हैं।
- इसने संबंधित पार्टियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए लेनदेन को शामिल करने के लिए आर.पी.टी. की परिभाषा को व्यापक बनाने की सिफारिश की है।
- पैनल ने प्रस्ताव दिया है कि प्रमोटर या प्रमोटर समूह से संबंधित किसी भी इकाई को संबंधित पार्टी माना जाना चाहिए।
- यह भी प्रस्तावित किया गया है कि एक सूचीबद्ध इकाई और उसकी संबंधित पार्टी के साथ उसकी सब्सिडरी के बीच लेनदेन के लिए एक ऑडिट समिति की मंजूरी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

विज्ञान और तकनीकी समसामयिकी

पलाऊ पहला देश है जिसने रीफ विषाक्त, सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया है।

- प्रशांत देश पलाऊ, सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जो प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है।
- सन क्रीम जिसमें ऑक्सीबेनज़ोन सहित सामान्य सामग्री शामिल होती है, को देश में प्रयोग करने या बेचने की अनुमति नहीं है।
- प्रतिबंध को 2018 में घोषित किया गया था, यह 10 में से किसी भी सामग्री वाले सन क्रीम को प्रतिबंधित करता है।
- इस सूची में ऑक्सीबेनज़ोन और ऑक्टिनॉक्सेट शामिल हैं, जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं।

पलाऊ के संदर्भ में जानकारी

- यह फिलीपींस के पूर्व में और इंडोनेशिया के उत्तर में स्थित है, यहां 21,000 लोग रहते हैं और यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन और मछली पकड़ने पर निर्भर है।
- इसके पास अमेरिका के साथ मुक्त संधि समझौता है।
- पलाऊ के रॉक आइलैंड में स्थित एक लैगून, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

इसरो, थुथुकोडी में दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को लॉन्च करने के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु के थुथुकोडी जिले में एक दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के संदर्भ में जानकारी

- यह छोटे उपग्रहों को लांच करने हेतु निम्न पृथ्वी कक्षा (500 कि.मी.) में 500 कि.ग्रा. की पेलोड क्षमता या सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (500 कि.मी.) में 300 कि.ग्रा. की पेलोड क्षमता के साथ इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- एस.एस.एल.वी. से उम्मीद की जाती है कि वह छोटे उपग्रहों को लांच करने में लॉन्च करने के समय को कम करने के साथ ही लागत को भी कम करेगा, जिनकी मांग बहुत ज्यादा है।
- इसरो वर्तमान में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी.एस.एल.वी.) और भूसमकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (जी.एस.एल.वी.) पर बड़े उपग्रहों के साथ छोटे उपग्रहों को भी लांच कर रहा है।

एक्स्ट्राओकुलर दृष्टि: बिना आंखों के देखने की क्षमता

- हाल ही में, शोधकर्ताओं ने दर्शाया है कि ब्रिटल स्टार की एक प्रजाति बिना आंखों के भी देख सकती है, जो स्टारफिश की रिश्तेदार है।
- रेड ब्रिटल स्टार (ओफियाकोमावेदती), जो कैरेबियाई सागर की प्रवाल भित्तियों में रहता है, जो समुद्री अर्चिन प्रजाति के बाद केवल दूसरा जीव है जो इस क्षमता के लिए जाना जाता है (अन्य प्रजातियों में अजीब मामलों को रोकना)।

एक्स्ट्राओकुलर दृष्टि के संदर्भ में जानकारी

- बिना आंखों के देखने की क्षमता को एक्स्ट्राओकुलर दृष्टि के रूप में जाना जाता है।
- शोधकर्ताओं का सुझाव है कि एक ब्रिटल स्टार को प्रकाश-संवेदी कोशिकाओं की मदद से देखा जा सकता है, जो उसके पूरे शरीर को ढंकता है।
- अनुसंधान से ज्ञात होता है कि ये प्रकाश-संवेदी कोशिकाएं ब्रिटल स्टार दृश्य उत्तेजनाएं देती हैं, जिससे यह चट्टानों जैसी मोटी संरचनाओं को पहचानने की अनुमति देती है।
- रेड ब्रिटल स्टार की एक और विशेषता इसके हस्ताक्षर का रंग परिवर्तन है।

भारतीय डेटा प्रसारण उपग्रह प्रणाली: एक नया उपग्रह गगनयान चालक दल की मदद करेगा।




- भारत ने इस वर्ष अंतरिक्ष-से-अंतरिक्ष ट्रेकिंग और अपनी अंतरिक्ष संपत्ति के संचार के अपने युग का निर्माण करने हेतु भारतीय डेटा प्रसारण उपग्रह प्रणाली (आई.डी.आर.एस.एस.) नामक एक नई उपग्रह श्रृंखला की शुरुआत की है।

Scaling new heights

The Indian Data Relay Satellite System (IDRSS) is a set of satellites that will track, send and receive information from other Indian satellites

- The project will aid the crew of Gaganyaan mission helping them in maintaining contact with the mission control throughout
- Work on two IDRSS satellites has already begun
- First satellite will be launched by 2020-end and the second one by 2021



आई.डी.आर.एस.एस. के संदर्भ में जानकारी

- आई.डी.आर.एस.एस. को भारतीय उपग्रहों के साथ, विशेष रूप से उन निम्न-पृथ्वी कक्षाओं में जिनके पास पृथ्वी का सीमित कवरेज है, की निगरानी करने और लगातार संपर्क में रखने की योजना है।
- इसरो के अध्यक्ष के. सिवन के अनुसार, यह लॉन्चिंग की निगरानी में भी उपयोगी होगा।
- इसके पहले लाभार्थी 2022 के गगनयान मिशन के संभावित चालक दल के सदस्य होंगे जो अपनी पूरी यात्रा के दौरान मिशन नियंत्रण के साथ पूरी तरह से और निरंतर संपर्क में रहेंगे।

नेटस्कोफैन (खाद्य सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग हेतु नेटवर्क)

- हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग हेतु नेटवर्क लॉन्च किया है।

नेटस्कोफैन के संदर्भ में जानकारी

- यह उन अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क है जो खाद्य और पोषण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रदान किया जाता है।
- नेटस्कोफैन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थानों के आठ समूह शामिल होंगे।
- जैविक
- रासायनिक
- पोषण और लेबलिंग
- पशु मूल का भोजन
- पौधे मूल का भोजन
- पानी और पेय पदार्थ
- खाद्य परीक्षण
- और सुरक्षित एवं टिकाऊ पैकेजिंग

एफ.एस.एस.ए.आई. के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित किया गया है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक समेकित कानून है।

इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र चलाकरे में स्थापित किया जाएगा

- अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए भारत की विश्व स्तरीय सुविधा तीन वर्ष में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बैंगलुरु-पुणे एन.एच.4 पर एक झाड़ीदार, शुष्क तिलहन शहर में स्थापित की जाएगी।

 **Gradeup Green Card**
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams [CHECK HERE](#)

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक शीर्ष बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए 2,700 करोड़ के मास्टर प्लान का प्रस्ताव दिया है जो अपने युवा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एच.एस.एफ.सी.) को संचालित करेगा।

मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के समन्वय के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत एक निकाय है।
- यह संस्था गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होगी।
- पहले चालक दल की उड़ान दिसंबर, 2021 को एक घरेलू-विकसित जी.एस.एल.वी.-तृतीय रॉकेट के लिए योजना बनाई गई थी।

नोट:

- चल्लाकेरे को साइंस सिटी भी कहा जाता है, यह इसरो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के उन्नत वैमानिकी परीक्षण रेंज, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय विज्ञान संस्थान की सुविधाओं का केंद्र है।

नियॉन: दुनिया का पहला कृत्रिम मानव

- हाल ही में, सी.ई.एस. 2020 में सैमसंग समर्थित स्टार लैब्स ने दुनिया का पहला कृत्रिम मानव पेश किया है जिसे नियॉन के रूप में जाना जाता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) दुनिया में नवीनतम प्रविष्टि है।

नियॉन के संदर्भ में जानकारी

- नियॉन या नियॉन्स पर वास्तविक मनुष्यों की तरह संवाद और विश्वास कर सकते हैं।
- यह नियमित बॉट्स या कमर्शियल ए.आई. जैसे गूगल असिस्टेंट और अमेजन अलेक्सा के समान नहीं है, जो यूजर्स को मौसम का अपडेट या म्यूजिक प्ले करने को कहते हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी, स्पेनिश और अन्य भाषाओं को भी समझता है।
- यह एक मालिकाना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, कोर आर 3 पर चलता है, जहां आर 3 रियलिटी, रियलटाइम और रिस्पांसिबिलिटी को दर्शाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में जानकारी

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनों में निहित बुद्धिमत्ता है।
- यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो कंप्यूटर या मशीनों को इंसानों की तरह बुद्धिमान बनाने से संबंधित है।
- यह सीखने (सूचना का उपयोग करने के लिए सूचना और नियमों का अधिग्रहण), तर्क (अनुमानित या निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नियमों का उपयोग करना) और मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा आत्म-सुधार जैसी मानव बुद्धिमत्ता प्रक्रियाओं का एक अनुकरण है।

TOI 700d ग्रह

- हाल ही में, नासा ने पृथ्वी के आकार के एक ग्रह की खोज की है, जिसका नाम TOI 700d है, जो "निवास योग्य क्षेत्र" में अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है।
- यह ग्रह नासा के ट्रांसिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वेक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.एस.) मिशन द्वारा खोजा गया था, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था।

TOI700 d ग्रह के संदर्भ में जानकारी

- यह पृथ्वी की तुलना में 20% बड़ा है।
- यह प्रत्येक 37 दिनों में एक बार अपने तारे की परिक्रमा करता है और सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्रदान की जाने वाली ऊर्जा के 86% के बराबर ऊर्जा की मात्रा प्राप्त करता है।

- तारा, TOI700, एक "एम. बौना" है जो कि दक्षिणी नक्षत्र डोरेडो में सिर्फ 100 प्रकाशवर्ष दूर स्थित है, यह हमारे सूर्य के द्रव्यमान और आकार का लगभग 40% है और इसका तापमान, पृथ्वी की सतह के तापमान का लगभग आधा है।
- TOI 700 d सबसे बाहरी ग्रह है और तारों के रहने योग्य क्षेत्र में एकमात्र ग्रह है।

नोट:

गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में जानकारी

- एक रहने योग्य क्षेत्र है, जिसे "गोल्डीलॉक्स जोन" भी कहा जाता है, यह एक तारे के आसपास का क्षेत्र है जहाँ यह आस-पास के ग्रहों की सतह पर मौजूद रहने हेतु द्रव पानी हेतु न तो बहुत गर्म है न ही बहुत ठंडा है।

एच9एन2 विषाणु

- राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के भारतीय वैज्ञानिकों ने विषाणु के दुर्लभ संस्करण (एच9एन2) से संक्रमण के देश के पहले मामले का पता लगाया है जो एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू का कारण बनता है।

एच9एन2 विषाणु के संदर्भ में जानकारी

- एच9एन2, इन्फ्लूएंजा ए विषाणु का एक उपप्रकार है, जो मानव इन्फ्लूएंजा के साथ-साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है।
- एच9एन2 उपप्रकार को पहली बार अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 1966 में टर्की के झुंड से अलग किया गया था।
- यू.एस. नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (एन.सी.बी.आई.) के अनुसार, एच9एन2 विषाणु, दुनिया भर में जंगली पक्षियों में पाए जाते हैं और कई क्षेत्रों में मुर्गी पालन में स्थानिक रूप से पाए जाते हैं।
- मनुष्यों में एच9एन2 विषाणु संक्रमण दुर्लभ है लेकिन सामान्यतः संक्रमण के हल्के लक्षणों के कारण अंडर-रिपोर्ट होने की संभावना होती है।

कोरोनावायरस

- हाल ही में, चीनी शोधकर्ताओं द्वारा पहचाने जाने वाले नए वायरस को **कोरोनावायरस** नाम से जाना जाता है।

कोरोनावायरस के संदर्भ में जानकारी

- ये विषाणुओं का एक विशिष्ट परिवार हैं, जिनमें से कुछ कम-गंभीर क्षति जैसे कि सामान्य सर्दी का कारण बनते हैं और अन्य जो श्वसन और आंतों के रोगों का कारण बनते हैं।
- एक कोरोनावायरस की सतह पर कई "नियमित रूप से व्यवस्थित" उभार होते हैं, जिसके कारण संपूर्ण विषाणु कण एक सम्राट के मुकुट की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम "कोरोनावायरस" रखा गया है।
- मनुष्यों के अतिरिक्त कोरोनावायरस स्तनधारियों को प्रभावित कर सकते हैं जिनमें सूअर, मवेशी, बिल्ली, कुत्ते, मार्टन, ऊंट, हाथी और कुछ पक्षी शामिल हैं।
- अब तक, कोरोनावायरस द्वारा होने वाली चार ज्ञात बीमारियां हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध एस.ए.आर.एस. कोरोनावायरस और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम (एम.ई.आर.एस.) कोरोनावायरस हैं, जिनमें से दोनों गंभीर श्वसन रोगों का कारण बन सकती हैं।

"शॉपर" मैलवेयर ने 14% से अधिक भारतीयों को प्रभावित किया है: कास्पर्सकी रिपोर्ट

- वैश्विक साइबर सुरक्षा और एंटी-वायरस ब्रांड कास्पर्सकी के शोधकर्ताओं के अनुसार, 'शॉपर मैलवेयर' नामक एक नया ट्रोजन स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

शॉपर मैलवेयर के संदर्भ में जानकारी

- ट्रोजन, जिसे 'शॉपर' कहा जाता है, ने अपनी व्यापक कहानियों और गूगल एक्सेसिबिलिटी सर्विस के उपयोग के बाद पहली बार शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है।



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- ये मैलवेयर खुदरा एप्लीकेशनों को लक्षित कर रहा है।
- लगभग 14 प्रतिशत भारतीय इस मैलवेयर से प्रभावित हैं।
- ट्रोजन के अनुमति लेने के रूप में यह सिस्टम इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करता है और स्क्रीन में दिखाए जा रहे प्रत्येक डेटा को कैच करता है।
- यह स्क्रीन पर दर्ज किए जा रहे डेटा को पढ़ने में भी सक्षम है।

सामान्य मैलवेयर प्रकारों की सूची:

- एडवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, स्पैम, वार्म, ट्रोजन, बैकडोर्स, रूटकिट, कीलॉगर्स, रैनसमवेयर
- मैलवेयर हमले का हालिया मामला: वान्नाक्राई
- मई, 2017 में बड़े पैमाने पर वैश्विक रैनसमवेयर हमला हुआ था। इस हमले ने भारत सहित 150 देशों में 230,000 से अधिक कंप्यूटरों को संक्रमित किया था और 28 भाषाओं में बिकॉइन में फिरोती भुगतान की मांग की थी।

वान्नाक्राई के संदर्भ में जानकारी

- वान्नाक्राई, रैनसमवेयर को इन्क्रिप्ट कर रहा है या रैनसमवेयर का क्रिप्टो लॉकर प्रकार है जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया गया है।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें:

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेज ने देश के भीतर सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक, सहयोगात्मक और सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए एक ढांचा बनाने हेतु एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है।

कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सी.ई.आर.टी.-इन)

- इसे संकट प्रबंधन प्रयासों के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु नामित किया गया है।
- सी.ई.आर.टी.-इन, समन्वय कार्यों और क्षेत्रीय सी.ई.आर.टी. के संचालन के लिए एक छात्रीय संगठन के रूप में कार्य करेगा।
- सी.ई.आर.टी.-इन, शीघ्र चेतावनी भी जारी करेगा।

साइबर स्वच्छता केंद्र

- "साइबर स्वच्छता केंद्र" एक बोटनेट स्वच्छता एवं मैलवेयर विश्लेषण केंद्र (बी.सी.एम.ए.सी.) है, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सी.ई.आर.टी.-इन) द्वारा संचालित है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) के अंतर्गत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है।
- इसका लक्ष्य भारत में बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर सुरक्षित साइबरस्पेस का निर्माण करना और भविष्य के संक्रमणों को रोकने के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं की सफाई और सुरक्षा प्रणालियों को सक्षम करना है।

नासा का आर्टेमिस मिशन

- नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है, जिसे वह आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम के माध्यम से करने की योजना बना रहा है।

आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में जानकारी

- 2011 में, नासा ने एक पुनर्उद्देशित अंतरिक्ष यान की एक जोड़ी का उपयोग करके आर्टेमिस मिशन (एक्सीलिरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूनस इंटरैक्शन विद सन) शुरू किया है।

- आर्टमिस कार्यक्रम के लिए, नासा के नए रॉकेट जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम (एस.एल.एस.) कहा जाता है, जो पृथ्वी से एक लाख मील की चौथाई दूरी पर ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजेगा।
- एक बार जब अंतरिक्ष यात्री गेटवे पर ओरियन को डॉक करते हैं- जो चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है, तो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर रहने और काम करने में सक्षम होंगे।

स्पेससूट के संदर्भ में जानकारी

- आर्टमिस कार्यक्रम के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यात्री नए डिज़ाइन किए गए स्पेससूट पहनेंगे, जिन्हें एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रावेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट या एक्स.ई.एम.यू. कहा जाता है।
- इन स्पेससूट्स में उन्नत गतिशीलता और संचार और विनिमेय भागों की सुविधा होती है, जिन्हें सूक्ष्मगुरुत्व में या किसी ग्रह की सतह पर स्पेसवॉक के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

नोटः

- अमेरिका के अतिरिक्त, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन और भारत ने चंद्रमा पर अन्वेषण करने के लिए मिशन भेजे हैं।
- चीन ने दो रोवर्स को सतह पर उतारा है, जिसमें 2019 में चंद्रमा के सबसे दूर पहली लैंडिंग शामिल है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की घोषणा की है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भारतीय नौसेना के लिए विशेष नाटो क्लास डीजल लॉन्च किया है।

- हाल ही में, वाइस एडमिरल जी.एस. पब्बी ने अपग्रेडेड हाई फ्लैश हाई-स्पीड डीजल (HFHSD- IN 512) लॉन्च किया है।

अपग्रेडेड हाई फ्लैश हाई-स्पीड डीजल (HFHSD- IN 512) के संदर्भ में जानकारी

- इसे इंडियन ऑयल कॉर्प (आई.ओ.सी.) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसकी आपूर्ति हल्दिया और पारादीप रिफाइनरी से की जा रही है।
- इसमें कम निकलने और कोल्ड फिल्टर प्लगिंग पॉइंट (सी.एफ.पी.पी.) और हाई फ्लैश पॉइंट का एक अद्वितीय संयोजन है।
- सभी समुद्री डीजल ईंधनों में इसकी सीटन संख्या सबसे अधिक है।
- ईंधन में निम्नलिखित विशेषताओं हैं
- इसमें सर्वोत्तम रियोलॉजिकल और डिटर्जेंट विशेषताएं हैं
- सल्फर की मात्रा कम होने के कारण इसका पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ता है
- यह द्विपक्षीय/ बहु-राष्ट्रीय रसद समर्थन संधि के अंतर्गत सभी विदेशी नौसेनाओं को अनिवार्य किए गए ईंधन की तुलना में बेहतर गुणवत्ता का ईंधन प्रदान करता है।

नोटः

सीटन संख्या के संदर्भ में जानकारी

- सीटन संख्या (सीटन रेटिंग) डीजल ईंधन की दहन गति और प्रज्वलन के लिए आवश्यक दबाव का एक संकेतक है।
- यह डीजल के लिए भी वैसी ही भूमिका निभाता है जैसी ऑक्टेन रेटिंग, गैसोलीन के लिए निभाती है।
- सीटन संख्या, डीजल ईंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

यदा यदा वायरसः एक नई रोगजनक खोज

- शोधकर्ताओं ने "यदा यदा वायरस" नामक एक नए विषाणु की खोज की सूचना दी है।

यदा यदा वायरस के संदर्भ में जानकारी



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams

[CHECK HERE](#)

- यह एक अल्फावायरस, जो वायरस का एक समूह होता है, जिसे शोधकर्ताओं ने "छोटे, एकल-फंसे हुए सकारात्मक-समझ वाले आर.एन.ए. वायरस" के रूप में वर्णित किया है, जिसमें मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं।
- ये मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा प्रसारित होते हैं और अपने कशेरुकी मेजबानों में रोगजनक होते हैं।
- कुछ अन्य अल्फावायरसों के विपरीत, यदा यदा मानव के लिए खतरा नहीं है।
- विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में तीन स्थानों में रात भर स्थापित किए गए एन्सेफलाइटिस वायरस निगरानी जाल में विक्टोरियन अरबोवायरस डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में फंसे मच्छरों में इस वायरस का पता चला था।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) ने कर्नाटक के बेंगलुरु में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई.) की स्थापना की है।
- इस केंद्र का उद्देश्य ब्लॉकचेन को एक सेवा के रूप में प्रदान करना और सभी हितधारकों को साझा किए गए शिक्षण, अनुभवों और संसाधनों से लाभान्वित करने की अनुमति देना है।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जानकारी

- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आगामी और आला तकनीक है और स्वास्थ्य, वित्त, कृषि और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाने से सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और परिसंपत्तियों पर विश्वास और अपरिवर्तनीयता प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- सरकार में ब्लॉकचेन के अनुप्रयोगों से ई-शासन प्रणाली में पारदर्शिता, पारगम्यता और विश्वास के बढ़ने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, देश में अपनी तकनीक और ई-गवर्नेंस पहलों को चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1976 में स्थापित किया गया एक संस्थान है।
- यह संस्थान, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का हिस्सा है।
- एन.आई.सी., सरकार के "सूचना विज्ञान-नेतृत्व-विकास" कार्यक्रम में एक सक्रिय उत्प्रेरक और सूत्रधार रहा है (इसे ई-गवर्नेमेंट प्रोग्राम, ई-गवर्नेंस प्रोग्राम भी कहा जा सकता है)।

कोरोना वायरस

- हाल ही में, चीन में नोवेल कोरोना वायरस के कारण छह मौतें हुई हैं।
- यह कोरोना वायरस का एक नया प्रारूप है और इसे पहले मनुष्यों में नहीं देखा गया है।

कोरोना वायरस के संदर्भ में जानकारी

- यह विषाणुओं का एक बड़ा परिवार बनाता है और उनके द्वारा होने वाली बीमारी सामान्य जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे मध्य पूर्व रेस्पिरेंटरी सिंड्रोम (MERS-CoV) और सीवियर एक्ज्यूट रेस्पिरेंटरी सिंड्रोम (SARS-CoV) तक हो सकती है।
- ये विषाणु जूनोटिक हैं, जिसका अर्थ है कि ये जानवरों और व्यक्तियों के बीच संचारित होता है।
- कोरोना वायरस के अन्य उपभेदों को पहले सिवेट बिल्लियों से मनुष्यों (SARS-CoV के मामले में) में और सॉइनी ऊंट से मनुष्यों (MERS-CoV के मामले में) में प्रेषित होते देखा गया है।
- इस विषाणु के कारण होने वाली बीमारियों की स्पष्ट श्रेणी के बारे में सीमित जानकारी है, इसका प्रभाव खांसी और बुखार से लेकर गुर्दे की विफलता और यहां तक कि मृत्यु तक हो सकता है।

न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन

- सरकार, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) के अंतर्गत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (पी.सी.वी.) को राष्ट्रव्यापी करने की योजना बना रही है।

- यह यू.आई.पी. टोकरी में सबसे महंगा टीका है, जिसे पहली बार 2017 में यू.आई.पी. टोकरी में शामिल किया गया था।
- वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 26 मिलियन जन्म समूहों का केवल 50 प्रतिशत है।

वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी

- यह वैक्सीन, न्यूमोकोकी परिवार के कई जीवाणुओं का मिश्रण है, जिन्हें निमोनिया के कारण के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसके नाम में कंजुगेट लगा है।
- न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाला निमोनिया, सबसे सामान्य माना जाता है।

वैक्सीन के संदर्भ में चिंता

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पी.सी.वी. के एक देशव्यापी रोलआउट में यू.आई.पी. के बजट का लगभग 50% (कर्मचारियों के वेतन, स्थापना लागत आदि जैसी साझा लागत) की आवश्यकता होगी।
- भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए लागत चुनौती आगे और कठिन होने के लिए तैयार है क्योंकि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन (जी.ए.वी.आई.) ने 2022 से भारत के लिए अपना समर्थन वापस लेना निर्धारित किया है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी:

- यह 1985 में शुरू किया गया था, जिससे कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं में 12 वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों से होने वाली मृत्यु और रूग्णता को रोका जा सके।
- यू.आई.पी. के अंतर्गत 12 वैक्सीन-निवारक बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है।
- ये बीमारियां तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, रूबेला, जापानी एन्सेफलाइटिस (जे.ई.), टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (हिब), खसरा और रोटावायरस डायरिया के कारण होने वाला मेनिंजाइटिस हैं।
- यू.आई.पी. 1 वर्ष से कम उम्र के केवल 65% बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करने में सक्षम है।

लिविंग रोबोट: जीनोबॉट

- संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला "लिविंग मशीन" जीनोबॉट बनाया है।

जीनोबॉट के संदर्भ में जानकारी

- यह अफ्रीकी पंजे वाले मेंढक की कोशिकाओं से निर्मित छोटा रोबोट है जो अपने आप ही घूम सकता है।
- उन्हें मिलिमीटर-वाइड रोबोट "जीनोबॉट" नाम दिया गया है, उन्हें नाइजीरिया और सूडान से दक्षिण अफ्रीका, जीनोपस लेविस के पार पाए जाने वाले जलीय मेंढक की प्रजातियों के बाद यह नाम दिया गया है।

महत्व

- जीनोबॉट "एक लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, शायद एक पेलोड (जैसे दवा जो एक रोगी के अंदर एक विशिष्ट स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है) उठा सकते हैं और कट जाने के बाद खुद को ठीक करते हैं।

हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन (एच.सी.एफ.सी.)-141 बी.: सबसे शक्तिशाली ओजोन-क्षयकारी रसायन

- भारत ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एच.सी.एफ.सी.)-141 बी. का पूर्ण चरण-आउट सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।

हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एच.सी.एफ.सी.) -141 बी. के संदर्भ में जानकारी

- यह फोम निर्माण उद्यमों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.) के बाद सबसे शक्तिशाली ओजोन-क्षयकारी रसायनों में से एक है।
- इसका उपयोग मुख्य रूप से कठोर पॉलीयूरेथेन (पी.यू.) फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में किया जाता है।

लाभ



Gradeup Green Card
Unlimited Access to All Mock Tests of State PCS Exams
[CHECK HERE](#)

- देश से एच.सी.एफ.सी.-141 बी. के फेज-आउट में दोहरे पर्यावरण लाभ हैं
- समताप मंडल की ओजोन परत के उपचार में सहायता करना
- ग्लोबल वार्मिंग संभावित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को कम करने हेतु एच.पी.एम.पी. के अंतर्गत इस पैमाने पर फोम विनिर्माण उद्यमों के संक्रमण के कारण जलवायु परिवर्तन शमन की ओर

ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के संदर्भ में जानकारी

- ओजोन-क्षयकारी पदार्थ, मानव निर्मित गैसों हैं जो ओजोन परत तक पहुंचने के बाद ओजोन को नष्ट कर देती हैं। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल (समताप मंडल) में रहती है और सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण की मात्रा को कम करती है।
- पराबैंगनी विकिरण का मानव और पर्यावरण दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है जैसे त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद को प्रेरित करना, पौधों की वृद्धि को विकृत करना और समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना हैं।

ओजोन-क्षयकारी पदार्थों में शामिल हैं:

- क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.)
- हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एच.सी.एफ.सी.)
- हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन (एच.बी.एफ.सी.)
- हैलोनस
- मिथाइल ब्रोमाइड
- कार्बन टेट्राक्लोराइड
- मिथाइल क्लोरोफॉर्म

नोट:

- सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 से एच.सी.एफ.सी.-141बी. को प्रतिबंधित कर दिया है।
- फोम निर्माण उद्योग द्वारा ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 के अंतर्गत एच.सी.एफ.सी.-141बी का उपयोग भी 1 जनवरी, 2020 को बंद कर दिया गया है।

व्योम मित्र: गगनयान के लिए लेडी रोबोट

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक मानव-रोबोट का अनावरण किया है, जिसका नाम व्योम मित्र है, जिसे गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

व्योम मित्र के संदर्भ में जानकारी

- व्योमित्र आधा मानव है, जो मानव क्रियाओं की नकल कर सकता है और उसका शरीर धड़ पर रुक जाता है और उसके पैर नहीं हैं।

गगनयान मिशन में व्योम मित्र की भूमिका

- वह पैनल संचालन को बदलने में, पर्यावरण नियंत्रण और लाइफ सपोर्ट प्रणाली कार्यों का प्रदर्शन करने, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करने, उन्हें पहचानने और उनके प्रश्नों को हल करने में सक्षम है।
- यदि केबिन के भीतर वातावरण बदलता है तो ह्यूमनॉइड इसका पता लगा सकता है और चेतावनी दे सकता है।
- यह ह्यूमनॉइड अगस्त, 2022 के पहले वास्तविक अंतरिक्ष यात्री के उड़ने से पहले अंतरिक्ष के लिए आवश्यक मानव कार्यों का अनुकरण करेगा।
- इसे 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में अंतरिक्ष कैम्पस में यह अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा कि कैसे अंतरिक्ष यात्री नियंत्रित शून्य-गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में पृथ्वी के बाहर रहने पर प्रतिक्रिया करते हैं।

- इसे इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित किया गया है।

अंतरिक्ष में अन्य रोबोट

- रोबोनाॅट 2: नासा, अमेरिका
- फेडॉर (फाइनल एक्सपेरिमेंटल डिमांस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च): रूस
- किरोबो: जापान

गगनयान मिशन के संदर्भ में जानकारी

- यह 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू किया जाने वाला भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है।

केरल में देश की पहली सुपर फैब प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है।

- भारत की पहली सुपर फैब प्रयोगशाला को केरल स्टार्टअप मिशन (के.एस.यू.एम.) के एकीकृत स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में लॉन्च किया गया था।
- यह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.आई.टी.) के सहयोग से कार्य करेगा।

फैब प्रयोगशाला के संदर्भ में जानकारी

- ये प्रयोगशालाएं डिजिटल निर्माण और अभिकलन की पेशकश करने वाली निर्माण प्रयोगशालाएं हैं, जो आविष्कारक और वैज्ञानिक प्रोफेसर नील गेर्शेनफेल्ड के दिमाग की उपज थीं।
- यह उद्यमियों को उन्नत डिजिटल विनिर्माण प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करके अपने विचारों को नए उत्पादों और प्रोटोटाइप में बदलने में सक्षम बनाता है।
- यह 2002 में भारत के पुणे में विज्ञान आश्रम में एम.आई.टी. के बाहर स्थापित होने वाली भारत की पहली फैब लैब थी।

प्रीसोलर ग्रेन: पृथ्वी पर सबसे पुराना ठोस पदार्थ

- वैज्ञानिकों ने 50 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक उल्कापिंड के अंदर फंसे स्टारडस्ट के रूप में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने ठोस पदार्थ की खोज की है।

संबंधित जानकारी

- यह स्टारडस्ट 7 अरब वर्ष पहले बने नए सितारों के 'बेबी बूम' के लिए साक्ष्य प्रदान करता है।
- ये अब तक पाए गए सबसे पुराने ठोस पदार्थ हैं और वे हमें बताते हैं कि हमारी आकाशगंगा में तारों का निर्माण कैसे हुआ है।
- शोधकर्ताओं ने जिन सामग्रियों की जांच की उन्हें प्रीसोलर ग्रेन कहते हैं जो सूर्य के पैदा होने से पहले बने हैं।
- स्टारडस्ट के ये टुकड़े उल्कापिंडों में फंस गए थे जहां वे अरबों वर्षों तक अपरिवर्तित रहे थे, जिससे वे सौरमंडल से पहले लौकिक समय के कैप्सूल बन गए थे।
- हालांकि, प्रीसोलर ग्रेन बहुत छोटे और दुर्लभ हैं, जो केवल पांच प्रतिशत उल्कापिंडों में पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर गिर गए हैं।

प्रीसोलर ग्रेन के संदर्भ में जानकारी

- वे छोटे ठोस अनाजों के रूप में अंतरस्थलीय ठोस पदार्थ हैं जो सूर्य के बनने से पहले एक समय में उत्पन्न हुए थे।
- प्रीसोलर स्टारडस्ट अनाज, प्रारंभिक प्रीसोलर सितारों से अंतर्गत बहिर्वाह और ठंडी गैसों से बने हैं।

नासा का स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरदर्शी

- नासा का स्पिट्जर मिशन, जिसने 16 वर्षों से अधिक समय तक अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का अध्ययन किया था, यह ईंधन के कम होने के कारण समाप्त हो जाएगा।
- नासा स्पिट्जर विमान का विमोचन करेगा, जिसके बाद वह विज्ञान संचालन करना बंद कर देगा।

स्पिट्जर अंतरिक्ष के संदर्भ में जानकारी

- इसे 25 अगस्त, 2003 में सौर कक्षा में लॉन्च किया गया था।

- स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरदर्शी, एक अंतरिक्ष-जनित वेधशाला है, जो नासा की महान वेधशालाओं के तत्वों में से एक है जिसमें हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी और चंद्र एक्स-रे शामिल हैं।
- विभिन्न अवरक्त तरंगदैर्घ्य का उपयोग करते हुए स्पिट्जर ब्रह्मांड की विशेषताओं को देखने और प्रकट करने में सक्षम था, जिसमें दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ठंडी वस्तुएं शामिल थीं।

उपलब्धियां

- नासा के स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरदर्शी ने ट्रैपिस्ट-1 नामक पहली ज्ञात एक्सोप्लैनेट प्रणाली का खुलासा किया था, जिसका नाम चिली में द ट्रांज़िटिंग प्लैनेट एंड प्लैनेटिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप (TRAPPIST) रखा गया है।
- 2016 में हबल और स्पिट्जर ने अब तक देखी गई सबसे दूरस्थ आकाशगंगा की पहचान और अध्ययन किया है।

पॉलीक्रैक संयंत्र

- भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत भुवनेश्वर में मानचेस्वर परिवहन मरम्मत कार्यशाला में देश के पहले सरकारी अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया है।
- यह अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, पॉलीक्रैक नामक एक पेटेंटेड प्रौद्योगिकी है, जो भारतीय रेलवे में पहला और भारत में चौथा है।

पॉलीक्रैक संयंत्र के संदर्भ में जानकारी

- यह दुनिया की पहली पेटेंटेड विषमांगी उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो कई फीडस्टॉक्स को हाइड्रोकार्बन तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी में परिवर्तित करती है।
- पॉलीक्रैक संयंत्र को सभी प्रकार के प्लास्टिक, पेट्रोलियम कीचड़, 50 प्रतिशत तक नमी के साथ अपृथक्कृत एम.एस.डब्ल्यू. (नगरपालिका ठोस अपशिष्ट), ई-अपशिष्ट, बांस, बगीचे का कचरा आदि सहित जैविक कचरे द्वारा पोषित जा सकता है।
- यह प्रक्रिया एक बंद लूप प्रणाली है और वायुमंडल में किसी भी खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करती है।
- पूरी प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करने के लिए दहनशील, गैर-संघनित गैसों का पुनः उपयोग किया जाता है और इस प्रकार, उत्सर्जन केवल गैसीय ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है।
- दहन से होने वाला उत्सर्जन, निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से बहुत कम पाया जाता है।
- यह प्रक्रिया, हल्के डीजल तेल के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करेगी, जो प्रकाश भट्टियों में उपयोग किया जाता है।

सुरक्षा घटनाक्रम

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को पांच डी.आर.डी.ओ. युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं समर्पित की हैं।

- प्रधानमंत्री ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है।
- ये प्रयोगशालाएँ पाँच शहरों: बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थित हैं।

डी.आर.डी.ओ. युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के संदर्भ में जानकारी

- ये प्रयोगशालाएँ भविष्य की रक्षा प्रणालियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण उन्नत प्रौद्योगिकी पर काम करेंगी।
- इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियां, संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकियां, असममित प्रौद्योगिकियां और स्मार्ट सामग्री शामिल हैं।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के संदर्भ में जानकारी

- यह रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत का प्रमुख संगठन है जिसे 1958 में स्थापित किया गया था।
- यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है।

- महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत साइबर सुरक्षा को लेकर राज्य के सभी जिलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

साइबर सेफ वुमेन पहल के संदर्भ में जानकारी

- यह पहल महिलाओं को इस संदर्भ में शिक्षित करने में मदद करेगी कि कैसे असामाजिक तत्वों और बाल शिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए वेब का उपयोग किया जाता है।
- इस अभियान को राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस, जनसंपर्क विभाग और साइबर सेल के सहयोग से पूरे राज्य में लागू किया जाना है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पहलें:

साइबर दोस्त

- इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका एक ट्विटर अकाउंट @CyberDost नाम से है।
- इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के लिए बरती जाने वाली सामान्य सावधानियों और रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In)

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है।
- यह हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना

- यह योजना 2019 में देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- इस योजना की विशेषताओं में ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, अनुसंधान और विकास और साइबर अपराध जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं।

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

- यह शिकायतकर्ताओं को बाल अश्लीलता या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

महत्व

- 2019 में एन.सी.आर.बी. (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) द्वारा जारी क्राइम रिपोर्ट-2017 के अनुसार, देश में साइबर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- 2014 में साइबर अपराधों की संख्या 9,622 थी जो 2015 में बढ़कर 11,592 हो गई थी और 2016 में साइबर अपराध की संख्या 12,317 हो गई थी।
- साइबर अपराध कानूनी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदान किया गया है।

सेना, दक्षता बढ़ाने के लिए जी.ओ.सी.ओ. मॉडल पर काम कर रही है।

- सेना ने अपनी मूलभूत कार्यशालाओं और संचालन दक्षता में सुधार करने वाले आयुध डिपो के लिए सरकार के स्वामित्व वाले अनुबंधकर्ता संचालित (जी.ओ.सी.ओ.) मॉडल को लागू करने के लिए संभावित उद्योग साझेदारों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- इन संवादों के एजेंडे को इच्छुक उद्योग के प्रतिभागियों से समझे जाने वाले अवसरों और मुद्दों/ चिंताओं पर विचार करना होगा, यदि (आर्मी बेस वर्कशॉप) ए.बी.डब्ल्यू. (S) को जी.ओ.सी.ओ. मॉडल के अंतर्गत संचालित करना है।
- पहचाने गए आठ ए.बी.डब्ल्यू. दिल्ली, जबलपुर (मध्य प्रदेश), कांकिनारा (पश्चिम बंगाल), इलाहाबाद, आगरा और मेरठ (उत्तर प्रदेश), पुणे के निकट किरकी और बेंगलुरु में स्थित हैं।
- जी.ओ.सी.ओ. मॉडल, "लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनः संतुलित करने हेतु" लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेखटकर (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों में से एक थी।

'नसीम-अल-बहर' का 12वां संस्करण

- ओमान के रॉयल नेवी (आर.एन.ओ.) का जहाज हाल ही में इंडो-ओमान द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास 'नसीम-अल-बहर' के 12वें संस्करण में भाग लेने के लिए गोवा आया है।
- यह 1993 से आयोजित किया जा रहा है।

ओमान के साथ अन्य युद्धाभ्यास

ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास

- यह एक वायुसेना युद्धाभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है।

अल-नजह युद्धाभ्यास

- यह भारत और ओमान के बीच आयोजित एक सैन्य युद्धाभ्यास है।

ऑपरेशन संकल्प

- हाल ही में, भारतीय नौसेना ने 19 जून, 2019 को खाड़ी क्षेत्र में होर्मुज के जलडमरूमध्य के माध्यम से भारतीय ध्वज पोतों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन, कोड-नाम ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था।
- रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है।

होर्मुज के जलडमरूमध्य के संदर्भ में जानकारी

- होर्मुज जलसंधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक जलडमरूमध्य है।
- यह फारस की खाड़ी से खुले सागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है और यह दुनिया के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चोक प्वाइंटों में से एक है।
- उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिणी तट पर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान का एक एकसकलैव, मुसंदाम स्थित है।

- दुनिया की तरलीकृत प्राकृतिक गैस का एक तिहाई और कुल वैश्विक तेल खपत का लगभग 25% इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान बनाता है।

राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन

- हाल ही में, सरकार ने राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (एन.एम.एस.डब्ल्यू.) के एक भाग के रूप में बलात्कार और पाँक्सो अधिनियम मामलों के त्वरित निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है।

राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन महिलाओं, विशेष रूप से नाबालिग लड़कियों के साथ अपराधों के संबंध में उभरती स्थितियों के प्रति एक विश्वसनीय प्रतिक्रिया विकसित करने में मदद करता है।
- यह जस्टिस, एम.एच.ए. जैसे हितधारक विभागों द्वारा बेहतर समन्वय के अतिरिक्त महिला सुरक्षा पर एक वास्तविक प्रभाव के साथ उपायों के समयबद्ध कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करेगा।
- यह मिशन निम्न विभागों के साथ समन्वय करेगा:
 - पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, कानूनी मामलों में उचित परिवर्तन हेतु स्कूली शिक्षा
 - जागरूकता फैलाने हेतु मीडिया अभियान
 - समयबद्ध अभियोजन में मिशन स्तर पर निगरानी में सुधार करना
 - बलात्कार के मामलों और महिला सुरक्षा से संबंधित अन्य मामलों की जांच करना

नोट:

- योजना के अंतर्गत 12 राज्यों में 216 पाँक्सो अदालतें पहले ही शुरू हो चुकी हैं।

6वां संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास: सी गार्डियन

- चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं अरब सागर में नौ दिवसीय, सी गार्डियन युद्धाभ्यास कर रही हैं।
- सी गार्डियन-2020 युद्धाभ्यास का उद्देश्य निम्न को बढ़ावा देना है:
 - दोनों देशों का सैन्य सहयोग
 - उनकी सभी मौसम में रणनीतिक सहयोगी भागीदारी को बढ़ाना
 - एक सुरक्षित समुद्री वातावरण का निर्माण करना और समुद्री आतंकवाद और अपराध से निपटने के लिए दोनों नौसेनाओं की क्षमता को बढ़ाना
- यह युद्धाभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच पहला युद्धाभ्यास है, जिसमें पनडुब्बी रोधी और पनडुब्बी बचाव प्रशिक्षण दिया जाएगा।

संबंधित जानकारी

- अरब सागर क्षेत्र, भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कांडला, ओखा, मुंबई, न्हावा शेवा (नवी मुंबई), मोरमुगाओ, न्यू मंगलौर और कोच्चि सहित प्रमुख बंदरगाह यहां स्थित हैं।
- यह युद्धाभ्यास चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है जो अब यहां पर पाकिस्तान के डीपवाटर ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है।
- ग्वादर को चीन के शिनजियांग प्रांत में 60 बिलियन डॉलर से अधिक के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी.पी.ई.सी.) के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिससे अरब सागर के गर्म पानी का उपयोग करने के लिए चीन को एक महत्वपूर्ण भूमि मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है।

भारत की चिंता

- ग्वादर बंदरगाह, ईरान के चाबहार बंदरगाह के करीब स्थित है, जिसे अफगानिस्तान को भारतीय निर्यात के लिए एक व्यापार गलियारा सुनिश्चित करने के लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है।

- अरब सागर, हिंद महासागर में प्रवेश प्रदान करता है जहां चीन ने वर्तमान में अफ्रीका के हॉर्न में जिबूती में एक रसद बेस बनाया है।

नौसेना युद्धाभ्यास मिलन

- हाल ही में, मार्च, 2020 में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास मिलन 2020 के लिए आमंत्रित 41 देशों में से 30 देशों ने भागीदारी की पुष्टि की है।
- युद्धाभ्यास मिलन 2020 की थीम "समुद्र पर तालमेल" है।

मिलन नौसेना युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला है।
- यह पहली बार वर्ष 1995 में आयोजित किया गया था।
- यह पिछले वर्ष तक अंडमान और निकोबार कमान में आयोजित किया गया था और पूर्वी नौसेना कमान में मुख्य भूमि पर पहली बार आयोजित किया जा रहा है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अनुकूल विदेशी नौसेनाओं के मध्य व्यवसायिक संपर्क को बढ़ाना और एक दूसरे की ताकत और समुद्री क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना है।

सैन्य मामलों का विभाग

- रक्षा मंत्रालय ने नए गठित सैन्य मामलों के विभाग (डी.एम.ए.) के लिए व्यापार के नियमों को मंजूरी प्रदान की है, जिसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी.डी.एस.) करते हैं।

सैन्य मामलों के विभाग के संदर्भ में जानकारी

- डी.एम.ए., एम.ओ.डी. में पांचवां विभाग है- अन्य रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग हैं।
- इसकी अध्यक्षता जनरल बिपिन रावत कर रहे हैं।
- सेवाओं को डी.एम.ए. के दायरे में लाया गया है, जिसमें प्रादेशिक सेना के अतिरिक्त और तीनों सेवाओं से संबंधित कार्य और पूंजी अधिग्रहण को छोड़कर सेवा विशिष्ट खरीद को शामिल किया गया है।
- प्रशिक्षण नीति, सेवाओं के अधिकांश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और कैंडर प्रबंधन डी.एम.ए. के दायरे में होंगे।
- डी.एम.ए. के शासनादेश में शामिल हैं:
 - खरीद में संयुक्तता को बढ़ावा देना
 - सेवाओं के लिए प्रशिक्षण और स्टाफ
 - संचालन में संयुक्तता लाकर संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सैन्य कमांड के पुनर्गठन की सुविधा
 - संयुक्त/ थियेटर कमांड की स्थापना के माध्यम से और स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना
- रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सेवाओं के प्रशासनिक और राजस्व खरीद मामलों को डी.एम.ए. में स्थानांतरित कर दिया गया है लेकिन रक्षा नीति से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण मामले को रक्षा सचिव द्वारा निपटाया जाएगा।

भारतीय सेना ने सबसे बड़े हवाई युद्धाभ्यास "विंग्ड रायडर" का आयोजन किया है।

- भारतीय सेना ने अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास "विंग्ड रायडर" का आयोजन किया है, जिसमें पूर्वोत्तर थियेटर में 500 से अधिक स्पेशल फोर्स के जवान शामिल थे।

विंग्ड रायडर युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- इस युद्धाभ्यास ने हवाई मिशनों को करने के लिए पैराड्रूपर्स और हवाई योद्धाओं की परिचालन तैयारियों का प्रदर्शन किया है।
- इस युद्धाभ्यास ने चीन के साथ सीमा पर सेना के फोकस में बदलाव का संकेत दिया है।

- इसमें बड़ी संख्या में स्पेशल फोर्स की टुकड़ी और वायु सेना के सभी प्रकार के हवाई परिवहन प्लेटफार्म शामिल हैं।
- सेना और वायु सेना के बीच घड़ी की सटीकता और निर्बाध एकीकरण के साथ युद्धाभ्यास के दौरान नए शामिल किए गए हवाई प्लेटफार्मों और उपकरणों को भी मान्यता प्रदान की गई है।

हिम विजय युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- अक्टूबर, 2019 में भारतीय सेना ने कठिन इलाके में तेजी से बढ़ते सैनिकों के इतने विशालकाय समूह की गतिशीलता, संचार और समन्वय का परीक्षण करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 'हिम विजय' युद्धाभ्यास का आयोजन भी किया था।
- एकीकृत युद्ध समूहों ने पहली बार युद्धाभ्यास में भाग लिया था।

K-4 परमाणु-सक्षम मिसाइल

- हाल ही में, भारत ने 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे K-4 परमाणु सक्षम मिसाइल कहा जाता है, जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है।

K-4 मिसाइल के संदर्भ में जानकारी

- इस मिसाइल को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, जो एक परमाणु-सक्षम मध्यम श्रेणी की पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है।
- इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता लगभग 3500 कि.मी. है, जो ठोस रॉकेट प्रणोदकों द्वारा संचालित है।
- इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित अरिहंत-श्रेणी के परमाणु-संचालित पनडुब्बियों में फिट किया जाना है।
- केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं।

तोपची युद्धाभ्यास

- हाल ही में, भारतीय सेना ने नासिक के निकट देओलाली कैंप में तोपची युद्धाभ्यास में अपने तोपखाने की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है।

तापेची युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- इसका अंग्रेजी में अर्थ गनर है, यह स्कूल ऑफ आर्टिलरी, देओलाली द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक युद्धाभ्यास है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना की तोपखाने की मारक क्षमता, विमानन और निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है।

स्कूल ऑफ आर्टिलरी के संदर्भ में जानकारी

- स्कूल ऑफ आर्टिलरी की स्थापना भारतीय सेना के लिए अप्रैल, 1918 में काकुल में की गई थी, जो अब पाकिस्तान में है, जिसे बाद में यह जून, 1941 में देओलाली में स्थानांतरित किया गया था।
- 1947 से, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और विस्तार के अनुपालन और इसके परिणामस्वरूप रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के गठन के रूप में कई बदलाव हुए हैं।

देओलाली कैंप के संदर्भ में जानकारी

- देओलाली महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक छोटा सा हिल-स्टेशन है।
- इसमें भारत का सबसे पुराना सैन्य केंद्र है।
- यह 1869 में स्थापित किया गया था और दरना नदी के तट पर स्थित है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

- हाल ही में, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजाल ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें पुलिस आयुक्त को कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के अंतर्गत व्यक्तियों को हिरासत में रखने की शक्ति दी गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के संदर्भ में जानकारी

- एन.एस.ए. को "कुछ निश्चित मामलों और उससे संबंधित मामलों के लिए निवारक निरोध प्रदान करने हेतु एक अधिनियम के रूप में वर्णित किया गया है"।
- निवारक निरोध की शक्तियां सरकार को प्रदान करने के कारण "सख्त" होने के कारण इस अधिनियम की व्यापक रूप से आलोचना की गई है।
- एन.एस.ए. के अंतर्गत हिरासत 12 महीने तक बढ़ सकती है या इससे भी अधिक समय तक बढ़ सकती है यदि सरकार हिरासत के खिलाफ और अधिक सबूत पेश करने में सक्षम है।

पृष्ठभूमि

1818 का बंगाल विनियमन III

- 1818 का बंगाल विनियमन III को सरकार को व्यक्ति को न्यायिक कार्यवाही का सहारा दिए बिना सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या सुरक्षा के लिए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने के लिए अधिनियमित किया गया था।

1919 का रोलेट अधिनियम

- ब्रिटिश सरकार ने 1919 के रोलेट अधिनियमों को अधिनियमित किया था, जिसने बिना किसी परीक्षण के एक संदिग्ध को जब्त करने की अनुमति प्रदान की थी।

नौसेना ने मेडागास्कर की मदद के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया है।

- हाल ही में, नौसेना ने मेडागास्कर में राष्ट्रीय आपदा के समर्थन में ऑपरेशन वनीला शुरू किया है और सहायता प्रदान करने के लिए एक बड़े उभयचर जहाज को भेजा है।
- मेडागास्कर, एक चक्रवात की चपेट में आ गया है और पिछले सप्ताह से भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, जिससे काफी जनहानि हुई है।

मेडागास्कर के संदर्भ में जानकारी

- मेडागास्कर को लाल द्वीप, इंद्रधनुष द्वीप, आठवें महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है।
- यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
- यहां बोली जाने वाली भाषाएँ मालागासी और फ्रेंच हैं।

स्थान:

- मेडागास्कर, अफ्रीका के तट से पूर्व हिंद महासागर के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है जो मोज़ाम्बिक के तट से लगभग 400 कि.मी. दूर स्थित है।
- इस द्वीप को जैव विविधता के लिए विश्व के शीर्ष दस हॉटस्पॉट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जातीय समूह

- मेडागास्कर में मलायो-इंडोनेशियाई, मिश्रित अफ्रीकी और मलयो-इंडोनेशियाई और अरब वंश के विभिन्न जातीय समूहों का निवास है।

अपराध एवं आपराधिक निगरानी नेटवर्क प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.) प्लेटफॉर्म पर नागरिक केंद्रित सेवाएं

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) ने खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढना और सी.सी.टी.एन.एस. प्लेटफॉर्म पर वाहन एन.ओ.सी. उत्पन्न करने जैसे कार्यों के लिए पुलिस से संबंधित नागरिक केंद्रित सेवाओं को लॉन्च किया है।

खोए हुए व्यक्तियों की खोज के संदर्भ में जानकारी

- नागरिक अपने घरों से बरामद अज्ञात व्यक्ति/ अज्ञात शर्षों के राष्ट्रीय डेटाबेस के खिलाफ अपने लापता परिजनों की तलाश कर सकते हैं।

वाहन एन.ओ.सी. उत्पन्न करने के संदर्भ में जानकारी

- 'जनरेट व्हीकल एन.ओ.सी.' से नागरिकों को अपने वाहन की दूसरी खरीद से पहले वाहन की स्थिति का पता लगाने की अनुमति मिलती है कि यह पुलिस रिकॉर्ड में संदिग्ध या साफ है।

अपराध एवं आपराधिक निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- अपराध एवं आपराधिक निगरानी नेटवर्क प्रणाली (सी.सी.टी.एन.एस.) की अवधारणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी।
- सी.सी.टी.एन.एस. का उद्देश्य सभी स्तरों पर और विशेष रूप से पुलिस स्टेशन स्तर पर दक्षता और प्रभावी पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है।

उद्देश्य

- एक वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिक-केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करना
- अपराध और आपराधिक रिकॉर्ड के राष्ट्रीय डेटाबेस पर पैन इंडिया खोज
- राज्य और केंद्र में अपराध और आपराधिक रिपोर्ट
- पुलिस प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण

24वां मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास

- भारत, 2020 में अमेरिका और जापान के साथ अपने त्रिपक्षीय मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है।

मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक युद्धाभ्यास है, जिसे भारतीय और प्रशांत महासागरों में एकांतर रूप से आयोजित किया जाता है।
- यह युद्धाभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और फिर इसे 2015 में जापान के समावेश के साथ एक त्रिपक्षीय प्रारूप में स्थायी रूप से विस्तारित किया गया था।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारत-जापान-अमेरिका के नौसेना सहयोग को और मजबूत बनाना और साझा मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर अंतर-कार्यकारिता को बढ़ाने का प्रयास करना है।

उत्तर कोरिया पहली बार म्यूनख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है।

- उत्तर कोरिया शीर्ष राजनयिक सभा के 56 वर्षों के इतिहास में पहली बार म्यूनख सुरक्षा सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।

म्यूनख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- यह 1963 से जर्मनी के म्यूनख में होने वाली अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है।
- यह नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए दिन और भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों के संदर्भ में खुली और रचनात्मक चर्चा के लिए एक स्वतंत्र स्थल है।
- इसका आदर्श वाक्य डायलॉग के माध्यम से शांति है।
- यह म्यूनख सुरक्षा रिपोर्ट, महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों पर प्रासंगिक आंकड़ों का एक वार्षिक डाइजेस्ट, नक्शा और शोध प्रकाशित करता है।

युद्धाभ्यास समप्रीति

- समप्रीति-IX को वर्तमान में संचालित भारत-बांग्लादेश रक्षा सहयोग के अंतर्गत भारत के मेघालय राज्य के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है।

युद्धाभ्यास समप्रीति के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयास है, जिसे दोनों देशों द्वारा एकांतर रूप से आयोजित किया जाता है।
- संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास समप्रीति-IX के दौरान, एक कमांड पोस्ट युद्धाभ्यास (सी.पी.एक्स.) और एक फील्ड प्रशिक्षण युद्धाभ्यास (एफ.टी.एक्स.) आयोजित किया जाएगा।
- दोनों देशों के बीच सैन्य विश्वास और सहयोग को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास पर जोर दिया जाएगा।

अन्य युद्धाभ्यास

हाल ही में, भारत- बांग्लादेश की नौसेनाओं ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी में समन्वित गश्ती दल का गठन किया था।

- भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं की समन्वित गश्ती (कॉरपैट) का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ था।
- वर्ष 2018 में भारत बांग्लादेश कॉरपैट शुरू हुआ था।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिक संचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है।

gradeup